रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2015/पौष 26, 1936
No. 17] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2015/PAUSA 26, 1936

भारतीय भेषजी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2015

भेषजी अभ्यास विनियम, 2015

सं. 14-148/2012-भा.भे.परि.—भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 10 और 18 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय भेषजी परिषद्, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् —

अध्याय - I

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

क. इन विनियमों का नाम भेषजी अभ्यास विनियम, 2015 है।

ख. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ :—

क. "अधिनियम" से अभिप्राय भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 की संख्या 8) से है।

ख. "भेषजी अभ्यास" से निम्नलिखित अभिप्राय है:—

(i) चिकित्सा आदेशों का निर्वचन, मूल्यांकन और कार्यान्वयन, निर्धारित औषधियों का वितरण, औषध आदेश देना,

(ii) औषधों और साधनों का चयन, औषध प्रशासन, औषध विधान समीक्षा तथा औषध या औषध-संबद्ध अनुसंधान में सहभागिता,

(iii) रोगी को सलाह देने के उपबंध तथा उन कृत्यों और सेवाओं की व्यवस्था जो प्राथमिक देखभाल सहित रोगी-देखभाल के सभी क्षेत्रों में भेषजिक देखभाल सुलभ कराने के लिए आवश्यक है; तथा

(iv) औषधियों और साधनों का मिश्रण तैयार करने और उन पर लेबल लगाने (औषधियों के विनिर्माता, री-पैकर या वितरक द्वारा लेबलिंग तथा वाणिज्यिक दृष्टि से पैकेज की गई प्रसिद्ध औषधियों और साधनों के सिवाय), औषधियों और साधनों का उचित और सुरक्षित भंडारण तथा उनके रखरखाव के उचित दस्तावेज।

ग. "औषध मिश्रण" से किसी औषधि या साधन का निर्माण, मिश्रण, संयोजन, पैकिंग या लेबलिंग का अभिप्राय है, जो —

(i) वृत्तिक व्यवसाय के दौरान व्यवसायी/रोगी/भेषजज्ञ संबंधों पर आधारित व्यवसायी के औषधपत्र औषध आदेश (या) पहल के परिणामस्वरूप हो, अथवा

(ii) औषध विश्लेषण सहित अनुसंधान, विनिर्माण, शिक्षण, नैदानिक परीक्षण या रासायनिक विश्लेषण के प्रयोजन के लिए हो या उनका आनुषंगिक हो न कि विक्रयार्थ या औषधि वितरण के लिए हो।

टिप्पण : "औषध मिश्रण" के अंतर्गत, नुस्खा बनाने, संप्रेक्षित नुस्खा बनाने की पद्धतियों की प्रत्याशा में औषधियों या साधनों की तैयारी करना भी शामिल है।

घ. **"वितरण"** से अभिप्राय - औषधपत्र, औषध आदेश का निर्वचन, मूल्यांकन, प्रदाय और कार्यान्वयन है जिसके अंतर्गत औषधि या साधन की तैयारी और रोगी या रोगी के एजेन्ट को एक उपयुक्त आधान में परिदान भी शामिल है जिस पर रोगी को बाद में लगाने के लिए अथवा उसके द्वारा उपयोग के लिए समुचित रूप से लेबल लगा हो।

ड. **"विभाजन"** से अभिप्राय - दवा देने या लगाने से भिन्न औषध या साधन का परिदान।

च. **"रोगी को परामर्श देने"** से अभिप्राय औषधियों तथा साधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की खातिर भेषजज्ञ द्वारा रोगी या देखभालकर्ता को जानकारी मौखिक रूप से संप्रेषित करना।

छ. **"भेषजिक देखभाल"** से अभिप्राय औषध चिकित्सा और अन्य रोगी देखभाल सेवाएँ जिनका आशय देखभाल या किसी रोग के निवारण, रोगी के लक्षण के निराकरण या उनमें कमी से संबद्ध परिणाम हासिल करना है, अथवा रोग प्रक्रिया को बंद या मंद करना है जैसा कि भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा परिभाषित किया गया है।

ज. **"भेषजिक व्यवसायी"** से अभिप्राय है कोई व्यक्ति (सामुदायिक भेषजज्ञ/अस्पताल भेषजज्ञ/नैदानिक भेषजज्ञ/औषध सूचना भेषजज्ञ) जो वर्तमान में लाईसेंस शुदा है, पंजीकृत है या अधिनियम के अंतर्गत परामर्श देने के लिए तथा वृत्तिक व्यवसाय के अनुक्रम में औषधि खिलाने के लिए अधिकृत है।

(i) **"सामुदायिक भेषजज्ञ"** से अभिप्राय है वर्तमान में पंजीकृत कोई व्यक्ति जो जन-साधारण को आयुर्विज्ञान उत्पादों को सही और सुरक्षित प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए विधिक तथा नैतिक दिशानिर्देशों के अनुसार काम करता है। वे सलाह और सूचना देकर एवं औषधपत्र की औषधियाँ प्रदान करके जन स्वास्थ्य को बनाये रखने और उसमें सुधार करने में प्रयासरत रहते हैं।

(ii) **"अस्पताल भेषजज्ञ"** से अभिप्राय है वर्तमान में पंजीकृत कोई भी व्यक्ति जो प्रधानतः सार्वजनिक/प्राईवेट सेक्टर में किसी अस्पताल भेषजी सेवा में काम करता है। वह औषधियों के सुरक्षित, समुचित और लागत प्रभावकारी उपयोग को सुनिश्चित करने का उत्तरदायी होता

है। अस्पताल भेषजज्ञ अपने द्वारा विहित की गई औषधियों के बारे में औषधि नुस्खा बनाने और रोगी को सलाह देने के लिए अपने विशेषज्ञ ज्ञान का प्रयोग करते हैं। वे रोगी को समुचित औषध उपचार खोजने के लिए अन्य स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिकारों के सहयोग से काम करते हैं। कुछ भेषजज्ञ अपेक्षित औषध उपचार विनिर्मित करने में भी लगे रहते हैं।

(iii) **"औषध सूचना भेषजज्ञ"** से अभिप्राय वर्तमान में पंजीकृत उस व्यक्ति से है जो मुख्यतया सामुदायिक/अस्पताल/शिक्षण अस्पताल/अन्य स्वास्थ्य देखभाल स्थापन में काम करता है तथा रोगियों/चिकित्सकों/दंतचिकित्सकों/अन्य स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिकारों को औषधि की प्रतिक्रियाओं, परिणाम प्रभावों, मात्रा और उचित औषधि भंडारण के बारे में सूचना और सलाह उपलब्ध कराता है।

(iv) **"नैदानिक भेषजज्ञ"** से अभिप्राय वर्तमान में पंजीकृत उस व्यक्ति से है जो रोगी की देखभाल करता है जिससे औषधि के उपयोग की क्षमता बढ़ जाती है तथा स्वास्थ्य, कुशलक्षेम और रोग निवारण में संवर्धन होता है। नैदानिक भेषजज्ञ सभी स्वास्थ्य देखभाल स्थापनों में रोगी की देखभाल करते हैं। नैदानिक भेषजज्ञ प्रायः चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिकों से सहयोग करते हैं।

झ. **"पंजीकृत भेषजज्ञ"** से अभिप्राय उस व्यक्ति से जो तत्समय राज्य भेषजी परिषद् के रजिस्टर में दर्ज है जिसमें वह तत्समय निवास करता है या भेषजी अधिनियम, 1948 भारतीय के अंतर्गत भेषजी की अपनी वृत्ति या कारोबार करता है।

ञ. **"औषध-पत्र"** - किसी पंजीकृत चिकित्सक या अन्य उचित रूप से लाईसेंसशुदा व्यवसायियों जैसे दंत-चिकित्सक, पशु-चिकित्सक आदि का किसी भेषजज्ञ को रोगी को विशेष प्रकार और मात्रा की निर्मित या पूर्वनिर्मित औषधि को मिश्रित करने और वितरण करने के लिए लिखित या इलैक्ट्रानिक निदेश से अभिप्राय है।

<u>टिप्पण</u> औषधपत्रों के प्रकार और औषधपत्रों की अन्तर्वस्तु नीचे दी गई है:-

औषधपत्रों के प्रकार :-

(i) तत्काल प्रस्तुत निर्मितियों का औषधपत्र
(ii) अधिकारिक निर्मितयों का औषधपत्र
(iii) पेटेन्ट निर्मितियों का औषधपत्र

औषध-पत्र की अन्तर्वस्तु :-

(i) विहितकर्ता के कार्यालय की सूचना - (नाम, अर्हता, पता और पंजीयन संख्या)
(ii) रोगी की सूचना - (नाम, पता, आयु, लिंग, संदर्भ संख्या)
(iii) तारीख
(iv) आर एक्स प्रतीक या लेख
(v) विहित की गई औषधियाँ अथवा लेख
(vi) भेषजज्ञ को वितरण के निदेश (या) अभिदान
(vii) रोगी के लिए निदेश (मेज पर रखे जाएं)
(viii) रीफिल, विशेष लेबल लगाना और/या अन्य अनुदेश
(ix) विहितकर्ता के हस्ताक्षर और लाईसेन्स (या) औषध प्रवर्तन अभिकरण संख्या अपेक्षानुसार।

अध्याय-2

3. भेषजी आचार-संहिता :-

3.1 घोषणा

प्रत्येक आवेदक को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय, परिशिष्ट-I में विनिर्दिष्ट घोषणा की प्रति भेषजिक आचार संहिता तथा राज्य भेषजी परिषद् द्वारा भेषजज्ञ की शपथ की प्रतियों के साथ दी जाएगी और वह उसे उस पर सम्यकतः हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करेगा।

3.2 राज्य भेषजी परिषद् के रजिस्टर में भेषजज्ञ के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों के विशेषाधिकार

अनुमोदित भेषजी अर्हता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा भेषजी वृति के व्यवसाय के विषय में इस विनियम में अधिकथित की गई शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम उस राज्य के रजिस्टर में दर्ज है जिसमें वह तत्समय निवास करता है या अपनी वृत्ति अथवा भेषजी कारोबार चला रहा है पंजीकृत भेषजज्ञ के रूप में व्यवसाय करने के लिए हकदार होगा तथा भेषजी वृत्ति के व्यवसाय में संलग्न रहेगा और भेषजी के ऐसे व्यवसाय के संबंध में कोई व्यय, प्रभार या कोई शुल्क जिसके लिए वह भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा परिभाषित अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के बदले हकदार है, विधि के सम्यक अनुक्रम में वसूल करने के लिए हकदार होगा।

3.3 स्वामी और पंजीकृत भेषजज्ञ का नाम प्रदर्शित किया जाना चाहिए

क. भेषजी कारोबार के स्वामी का नाम प्रत्येक कारोबार परिसर के मुख्य प्रवेश पर या उसके निकट प्रदर्शित किया जाएगा।

ख. पंजीकृत भेषजज्ञ का नाम उसकी पंजीकरण संख्या और अर्हता उसके फोटोचित्र के साथ-साथ उस क्षेत्र के निकट प्रदर्शित किया जाएगा जहाँ भेषजी में वितरण का काम किया जाता है। पंजीकृत भेषजज्ञ औपचारिक वर्दी पहनकर तथा स्वच्छ पूरा सफेद (कोट/एप्रन) बिल्ले सहित पहनकर जिस पर नाम और पंजीकरण संख्या प्रदर्शित हो, वर्दी कोड का पालन भी करेगा।

ग. पंजीकृत भेषजज्ञ अपने नाम के प्रत्यय के रूप में केवल मान्यताप्राप्त भेषजी अर्हता/डिग्री या ऐसे प्रमाणपत्र/डिप्लोमा तथा सदस्यता/सम्मान को ही प्रदर्शित करेंगे जो वृत्तिक ज्ञान प्रदत्त करते हैं अथवा किसी उदाहरणात्मक अर्हता/उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हैं।

3.4 स्वामी को पंजीकृत भेषजज्ञ नियुक्त करना चाहिए

क. भेषजी कारोबार स्वामी जिसे यह खंड लागू होता है, एक पंजीकृत भेषजज्ञ को नियुक्त करेगा जो विनियम 3.3 के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी तैनाती हर समय प्रभावशाली हो, अन्यथा भेषजी कारोबार स्वामी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अधिनियम की धारा 42 के उपबंधों का उल्लंघन किया है।

ख. नियुक्ति की सूचना को प्रभावी बनाने की खातिर उसके साथ नियुक्त व्यक्ति हस्ताक्षरित नियुक्ति को स्वीकार करने की सूचना उसके साथ संलग्न हो।

ग. भेषजी कारोबार स्वामी द्वारा अथवा नियुक्त व्यक्ति द्वारा या उसके निमित्त सूचना देकर नियुक्ति को निरस्त किया जा सकेगा। यदि नियुक्त किया गया व्यक्ति पंजीकृत भेषजज्ञ नहीं है तो नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी।

4. साधारणतया पंजीकृत भेषजज्ञ के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व :-

4.1 पंजीकृत भेषजज्ञ का चरित्र

क. भेषजी वृत्ति का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों की सेवा करना है, पुरस्कार या वित्तीय प्राप्ति एक गौण बात है। जो भी कोई अपनी वृत्ति का चुनाव करता है वह उसके आदर्शों के अनुसार आचरण करने की बाध्यता ग्रहण कर लेता है। पंजीकृत भेषजज्ञ को आयुर्विज्ञान कला में शिक्षित एक सीधा सच्चा आदमी होना चाहिए। वह अपना आचरण शुद्ध रखेगा तथा मरीज की देखभाल परिश्रमपूर्वक करेगा, उसे चिंतामुक्त रहकर अपना काम करते हुए विनम्र, धीर, गंभीर, शांत और तत्पर रहना चाहिए, उसे अपनी वृति में तथा अपने जीवन की समस्त गतिविधियों में औचित्यपूर्वक आचरण करना चाहिए।

ख. भेषजी की किसी अन्य प्रणाली में अर्हता रखने वाला व्यक्ति किसी भी रूप में भेषजी की आधुनिक प्रणाली का व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं है।

ग. पंजीकृत भेषजज्ञ अपनी वृत्ति की गरिमा और सम्मान को अक्षुण्ण रखेगा।

4.2 पंजीकरण का नवीकरण

पंजीकरण के नवीकरण के लिए भेषजज्ञ भेषजी में कम से कम 1 दिन की अवधि के न्यूनतम दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लेगा जो निम्नलिखित में से किसी एक निकाय द्वारा पांच वर्ष में एक बार आयोजित किया जाएगा :-

(i) भारतीय भेषजी परिषद्
(ii) राज्य भेषजी परिषद्
(iii) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार
(iv) परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त वृत्तिक निकाय

4.3 केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के औषधपत्र पर ही औषधि देना

प्रत्येक पंजीकृत भेषजज्ञ केवल उन्हीं औषधियों का वितरण करेगा जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विहित की गई हों तथा औषधपत्र को प्रतिस्थापित नहीं करेगा।

4.4 छात्र भेषजज्ञों को व्यावहारिक प्रशिक्षण

क. भेषजी स्वामी भेषजी में डिप्लोमा छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा देने के प्रयोजनार्थ भेषजी के अनुमोदन के लिए भारतीय भेषजी परिषद् का पूर्व अनुमोदन मांगेगा। भारतीय भेषजी परिषद् के अनुमोदन के अभाव में छात्र भेषजज्ञों के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि उन्होंने भेषजी (भाग-III) में अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया है ताकि वे अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र हो जाएँ।

ख. पंजीकृत भेषजज्ञ परीक्षा प्राधिकरण को सूचित करते हुए अधिनियम की धारा 10 के अधीन विरचित शिक्षा विनियमों के अधीन समय-समय पर विहित रूप में छात्र भेषजज्ञों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे।

ग. ऐसा व्यावहारिक प्रशिक्षण देते समय, पंजीकृत भेषजज्ञ प्रशिक्षणार्थी छात्र भेषजज्ञों की संख्या, व्यावहारिक प्रशिक्षण की प्रकृति, प्रशिक्षण की कालावधि आदि के संबंध में जो समय-समय पर शिक्षा विनियमों में अधिकथित की गई हो, विहित प्रतिमानकों का अनुपालन करेगा।

5. भेषजी निरीक्षकों द्वारा भेषजियों का निरीक्षण किया जाना :-

क. स्वामी/पंजीकृत भेषजज्ञ उस परिसर का निरीक्षण करने के लिए, जहां औषधियाँ मिश्रित या वितरित की जाती हैं औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 26 क के अधीन नियुक्त निरीक्षकों को अनुज्ञात करेगा तथा निरीक्षण में सहयोग करेगा।

ख. कोई निरीक्षक –

(i) किसी भी परिसर जहां औषधियां मिश्रित या वितरित की जाती हैं, का निरीक्षण करेगा और रजिस्ट्रार को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा,

(ii) यह जांच करेगा कि क्या वह व्यक्ति जो औषधियों के मिश्रण में या वितरण में लगा हुआ है, एक पंजीकृत भेषजज्ञ है?

(iii) अधिनियम के किसी भी उल्लंघन के संबंध में लिखित रूप में की गई किसी शिकायत की जांच करके रजिस्ट्रार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(iv) राज्य भेषजी परिषद् की कार्य समिति के आदेश से अभियोजन संस्थित करेगा।

(v) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो भेषजी अधिनियम के अध्याय III, IV और V या उसके अधीन निर्मित किन्हीं नियमों के प्रयोजनों को कार्य रूप देने के लिए आवश्यक हों।

6. उत्तम भेषजी व्यवसाय बनाए रखना :–

6.1 <u>एसोशिएसन की सदस्यता</u> – अपनी वृत्ति की प्रगति के लिए पंजीकृत भेषजज्ञ एलोपेथी भेषजी वृत्तियों के संगमों (एसोशिएसन) और सोसायटियों के साथ संबंद्ध होगा और ऐसे निकायों के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेगा। पंजीकृत भेषजज्ञ विख्यात वृत्तिक शैक्षणिक निकायों द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत संघ/संघों द्वारा आयोजित सतत् भेषजी शिक्षा कार्यक्रम के अंगस्वरूप वृत्तिक बैठकों में सहभागिता करेगा। इस अपेक्षा के अनुपालन के बारे में भारतीय भेषजी परिषद् या राज्य भेषजी परिषद् जो भी हो, को नियमित रूप से सूचित किया जाएगा।

6.2 <u>रोगी का अभिलेख रखना</u>

क. प्रत्येक पंजीकृत भेषजज्ञ अपने रोगी के इलाज के प्रारंभ की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि का चिकित्सा/औषधपत्र अभिलेख रखेगा जैसा कि भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा परिशिष्ट II में उल्लेखित किया गया है।

ख. यदि रोगी/प्राधिकृत परिचर या विधिक प्राधिकारी जो अंतर्ग्रस्त है, द्वारा चिकित्सा अभिलेख के लिए अनुरोध किया जाता है तो उसे सम्यकतः अभिस्वीकृत किया जाए तथा दस्तावेज 72 घण्टे की अवधि के भीतर जारी कर दिए जाएँ।

ग. प्रयास किया जाए कि चिकित्सा/औषधपत्र अभिलेख का कंप्यूटरीकरण किया जाए ताकि उसे शीघ्र ढूंढा जा सके।

6.3 रोगी की देखभाल में सर्वोच्च गुणवत्ता आश्वासन –

प्रत्येक पंजीकृत भेषजज्ञ उन लोगों के प्रवेश से इस वृत्ति की रक्षा के उपाय में सहायक होगा जो नैतिक चरित्र या शिक्षा में निम्न स्तर पर हैं। पंजीकृत भेषजज्ञ अपनी वृत्ति के व्यवसाय के संबंध में ऐसे किसी परिचर को नियोजित नहीं करेगा जो न तो पंजीकृत है और न ही प्रवृत्त भेषजी अधिनियम के अधीन सूचीबद्ध है और ऐसे व्यक्तियों को रोगियों की सेवा में नहीं लगाएगा जहाँ कहीं वृत्तिक विवेकाधिकार या कौशल अपेक्षित है।

6.4 अनाचार का भंडाफोड़ –

पंजीकृत भेषजज्ञ को भय या पक्षपात के बिना, वृत्ति के अक्षम, भ्रष्ट, बेईमान या अनाचारपूर्ण आचरण वाले सदस्यों का भंडाफोड़ कर देना चाहिए।

6.5 वृत्तिक सेवाओं के लिए पारिश्रमिक –

भेषजी वृत्ति के व्यवसाय में कार्यरत पंजीकृत भेषजज्ञ, रोगियों के हितों को प्राथमिकता देगा। पंजीकृत भेषजज्ञ के निजी वित्तीय हित रोगियों के चिकित्सा हितों से टकराने नहीं चाहिए। पंजीकृत भेषजज्ञ सेवा प्रदान करने से पहले, न कि बाद में, अपने शुल्क को घोषित करेगा। ऐसी सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक, सेवा देते समय रोगी को स्पष्ट तौर पर बताये गए प्ररूप और मात्रा में होगा। "लाभ नहीं-पारिश्रमिक नहीं" की संविदा करना अनाचारपूर्ण है। राज्य की ओर से सेवा प्रदान करने वाला पंजीकृत भेषजज्ञ किसी भी प्रत्याशा या स्वीकृति से विरत रहेगा।

7. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं है: —

पंजीकृत भेषजज्ञ भेषजी के व्यवसाय को विनियमित करने में देश की विधियों का पालन करेगा तथा दूसरों को ऐसी विधियों से बचने में सहायता नहीं पहुंचाएगा। वह लोक स्वास्थ्य के हित में स्वच्छता विधियों और विनियमों के पालन और प्रवर्तन में सहयोगी होगा। पंजीकृत भेषजज्ञ औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 जैसे अधिनियमों के उपबंधों का सम्मान करेगा।

अध्याय-3

8. पंजीकृत भेषजज्ञों के अपने रोगियों के प्रति कर्तव्य :-

8.1 <u>बीमार के प्रति बाध्यताएँ</u> -

क. यद्यपि पंजीकृत भेषजज्ञ सेवा मांगने वाले हर व्यक्ति को देखने के लिए आबद्ध नहीं है फिर भी, वह बीमार या क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मांग सुनने के लिए न केवल सदा तैयार रहेगा अपितु अपने मिशन और उन उत्तरदायित्त्वों के जिनका निर्वाह वह अपने वृत्तिक कर्तव्यों के अनुक्रम में करता है, उच्च आचरण का ध्यान रखेगा। वह कभी नहीं भूलेगा कि उसकी देखभाल में सौंपे गए व्यक्तियों का स्वास्थ्य और उनके प्राण उसके कौशल और ध्यान पर निर्भर करते हैं।

ख. पंजीकृत भेषजज्ञ, जिसमें ऐसी असमर्थता है जो रोगी के हितों के प्रतिकूल है या जो रोगी के प्रति उसके निष्पादन को प्रभावित कर सकती है, अपनी वृत्ति का व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

ग. भेषजिक देखभाल के विषय में (औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 तथा इन नियमों की अनुसूची 'ढ़' के अतिरिक्त) निम्नलिखित उपबंध भी शामिल किए जाएंगे-पंजीकृत भेषजज्ञ से भिन्न कोई व्यक्ति, किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के औषधपत्र पर किसी औषधि का योजन, निर्माण, मिश्रण, वितरण या प्रदाय नहीं करेगा (अनुसूची ज और ष औषधियां)।

पंजीकृत भेषजज्ञ निम्नलिखित की पहचान करने के लिए चिकित्सा संबंधी औचित्य के उन्नयन के प्रयोजन के लिए औषधि देने के लिए प्रस्तुत किए गए रोगी के अभिलेख तथा प्रत्येक औषधपत्र की समीक्षा करेगा -

(i) अति उपयोग या अल्प उपयोग
(ii) दोहरी चिकित्सा
(iii) औषधि-रोग अनुक्रिया
(iv) औषधि-औषधि अनुक्रिया
(v) गलत औषधि मात्रा या औषधि-उपचार की अवधि
(vi) औषधि-एलर्जी अनुक्रिया
(vii) औषधियों की उपलब्धता का सहसंबंध-औषधियों की कृत्रिम कमी से बचने के लिए
(viii) नैदानिक दुरूपयोग/गलत उपयोग

टिप्पणः उपरोक्त में किसी की पहचान करने पर पंजीकृत भेषजज्ञ समस्या से बचने के लिए या उसके समाधान के लिए समुचित कदम उठाएगा। यदि आवश्यक होगा तो इसमें पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से परामर्श भी शामिल होगा।

8.2 **धैर्य, कोमलता और गुप्तता** – धैर्य और कोमलता पंजीकृत भेषजज्ञ की विशेषता होगी। रोगी द्वारा पंजीकृत भेषजज्ञ को सौंपे गए व्यक्तिगत या घरेलू जीवन संबंधी विश्वास तथा चिकित्सा के दौरान संप्रेशित बीमारी या चरित्र में बुराईयाँ कभी भी प्रकट नहीं की जाएँगी जब तक कि उनका प्रकट करना राज्य की विधि द्वारा अपेक्षित न हो। फिर भी कभी-कभी पंजीकृत भेषजज्ञ यह तय करेगा कि वह एक स्वस्थ व्यक्ति को ऐसी संचारी बीमारी से, जिसका शिकार वह होने वाला है, बचाने के लिए पंजीकृत भेषजज्ञ के नाते विश्वास के माध्यम से, प्राप्त जानकारी का प्रयोग करे। ऐसे दृष्टांत में, पंजीकृत भेषजज्ञ इस प्रकार कार्य करेगा जैसा वह, वैसी परिस्थितियों में, उसके अपने परिवार के किसी सदस्य के प्रति करने के लिए किसी अन्य से चाहता है।

8.3 **प्राग्ज्ञानः–** पंजीकृत भेषजज्ञ किसी रोगी की हालत की गंभीरता को न तो बढ़ाकर बताएगा और न घटाकर। वह स्वयं सुनिश्चित करेगा कि रोगी, उसके नातेदार या उसके जिम्मेदार मित्रों को रोगी की हालत की उतनी जानकारी हो जितनी रोगी और उसके परिवार का सर्वोत्तम हित-साधन करेगी।

8.4 **रोगी की उपेक्षा न हो :–** पंजीकृत भेषजज्ञ यह चुनने के स्वतंत्र है कि वह किसकी सेवा करे। फिर भी वह आपात के समय अपनी सहायता के किसी भी अनुरोध को अनदेखा नहीं करेगा। पंजीकृत भेषजज्ञ जानबूझकर उपेक्षा का कृत्य नहीं करेगा जिससे उसका/उसके रोगी आवश्यक चिकित्सीय देखभाल से वंचित हो जाए/जाएँ।

अध्याय-4

9. पंजीकृत भेषजज्ञों के कर्तव्य :-

9.1 वितरण/औषधि प्रदाय करना

क. वितरण (औषधपत्र एकत्र करने) के विभिन्न क्रियाकलाप जैसे पैकिंग से औषधि निकालना, औषधपत्र भरना आदि पंजीकृत भेषजज्ञ की देखरेख में किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो इन क्रियाकलापों को करने के लिए प्रशिक्षित है। तथापि रोगियों को औषधियों का वास्तविक वितरण दूसरे लोगों द्वारा बनाए गए नुस्खे के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् पंजीकृत भेषजज्ञ द्वारा ही किया जाएगा।

ख. पंजीकृत भेषजज्ञ वितरण के लिए प्रस्तुत किए गए प्रत्येक औषधपत्र का भेषजिक आकलन करेगा। अधिनियम के प्रयोजनार्थ, भेषजिक आकलन को ऐसे बिन्दु के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर पंजीकृत भेषजज्ञ किसी नुस्खा लिखने वाले व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए औषधि इलाज का सुरक्षित, क्वालिटी, प्रभावकारी और तर्कसंगत प्रयोग स्थापित करने के लिए अपनी जानकारी का प्रयोग करता है।

ग. रोगी की गोपनीयता हर समय कायम रखी जाएगी।

घ. रोगी या देखभाल कर्ता को समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और जहां संभव हो वहाँ, इस जानकारी की समझ की पड़ताल की जानी चाहिए।

ड. भेषजी द्वारा संभाले गए सभी औषधपत्रों के लिए –

(i) रोगी के विवरण की पड़ताल और पुष्टि की जाएगी
(ii) भेषजिक आकलन किया जाएगा
(iii) उचित प्रेलखन रखा जाएगा

च. औषधपत्र के आकलन में निम्नलिखित का आकलन शामिल तो होना चाहिए किंतु उस तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि क्या –

(i) औषधपत्र विधिमान्य है?
(ii) औषधपत्र में समुचित मात्रा रूप तथा दवा देने का समुचित उपाय शामिल है?
(iii) औषधपत्र रोगी की अवस्था के लिए समुचित है?
(iv) उपचार की अवधि ठीक है?
(v) औषधपत्र रोगी के पैरामीटर (आयु, वजन आदि) तथा पूर्व चिकित्सा के अनुसार समुचित है?
(vi) औषधपत्र अन्य उपचार के अनुरूप है ?
(vii) औषधपत्र नियमों और दिशानिर्देशों से संगत है ?
(viii) दुष्प्रभाव और प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं की संभावना है?
(ix) प्रतिकूल संकेत हैं?
(x) रोगी द्वारा औषधपत्र में औषधियों के दुरूपयोग और अनुपयुक्त प्रयोग की संभावना है?
(xi) औषधपत्र लेबलिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करता है?

छ. अपेक्षित औषध उत्पादों के योजन, वितरण और लेबलिंग से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि –

(i) औषध उत्पाद औषधपत्र से मेल खाता है
(ii) औषध उत्पाद का समय समाप्त नहीं हुआ है
(iii) औषध उत्पाद ठीक ढंग से योजित हो (यदि आवश्यक हो तो), पैक हुआ है और समुचित ढंग से लेबल लगाया गया है।
(iv) सही ढंग से वितरण की जाँच-पड़ताल पंजीकृत भेषजज्ञ द्वारा की जाती है।
(v) उचित प्रलेखन किया गया है?

ज. रोगी/रोगी के सहायक को औषध उत्पाद का परिदान इस तरह किया जाता है कि यह सुनिश्चित हो जाए कि –

(i) पंजीकृत भेषजज्ञ – रोगी । उसके सहायक को औषधि दें दे
(ii) औषधि के बारे में समुचित जानकारी रोगी। इसके सहायक को दे दी जाए।

9.2 भेषजज्ञ द्वारा तर्क संगत औषधि प्रयोग का संवर्धन

औषधियों के तर्क संगत प्रयोग का संवर्धन करने के लिए भेषजज्ञ स्वयं को निम्न क्रिया कलापों में लगाएगा, जैसे –

(i) अस्पताल के स्तर पर और राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर सूत्र संहिता बनाने की तैयारी
(ii) औषधि कंपनियों द्वारा निर्मित संवर्धन सामग्री का आलोचनात्मक आकलन
(iii) प्राधिकृत स्रोतों के माध्यम से मूल्यांकित सूचना का प्रचार-प्रसार
(iv) सतत शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से औषधियों की जानकारी का अद्यतन करना तथा स्वास्थ्य वृत्तिकों के लिए शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना भी।
(v) रोगी सूचना के पर्चों की रचना और प्रचार-प्रसार।

9.3 रोगी को परामर्श देना

क. औषधपत्र (औषध आदेश) मिलने पर और रोगी के अभिलेख की समीक्षा का अनुसरण करते हुए पंजीकृत भेषजज्ञ व्यक्तिगत रूप से बातचीत शुरू करेगा जिससे प्रत्येक रोगी की चिकित्सा या ऐसे रोगी की देखभाल में वृद्धि होगी अथवा वह आशाप्रद होगी। ऐसी चर्चा व्यक्तिशः होगी जहां कहीं साध्य हो अथवा फोन पर होगी तथा उसमें रोगी को परामर्श देने के समुचित तत्व शामिल होंगे। ऐसे तत्वों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हो सकेंगी :-

(i) औषधियों के नाम और वर्णन
(ii) मात्रा निर्धारण रूप, मात्रा, देने का उपाय तथा चिकित्सा की कालावधि
(iii) औषधि की आशयित प्रयोग तथा प्रत्याशित कार्यवाही
(iv) औषधि के लिए विशेष निदेश और सावधानियां

(v) सामान्य गंभीर अनुषंगी प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव या अंतः क्रियाएं तथा चिकित्सीय प्रतिकूल संकेत जिनका प्रतिरोध किया जा सकता है, जिसमें उनसे बचना भी शामिल है, तथा उनके होने पर अपेक्षित कार्यवाही

(vi) स्व मानिटरिंग औषधि चिकित्सा की प्रविधि

(vii) औषधियों का उचित भंडारण

(viii) औषधपत्र पुनः भरने की सूचना

(ix) मात्रा न ले पाने की स्थिति में कार्यवाही

(x) औषधियों का तर्कसंगत प्रयोग सुनिश्चित

टिप्पण: जब रोगी या रोगी सहायक परामर्श लेने से इंकार करे तो भेषजज्ञ से रोगी या उसके सहायक को परामर्श देने की अपेक्षा नहीं होगी।

ख. भेषजज्ञ रोगियों को खिलायी गई औषधियों का अभिलेख (औषध कार्ड) रखेगा जिसका उपयोग औषधि चिकित्सा के मूल्यांकन के लिए किया जा सकेगा।

ग. (स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिक के नाते) भेषजज्ञ प्रक्रिया और परिणाम शोध, स्वास्थ्य संवर्धन तथा शिक्षा देने के लिए तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए प्राधिकृत है। वह भेषजगुण विज्ञानी (फार्माकोइपिडे नियोलोजिकल) अध्ययन भी करेगा।

घ. रोगी को परामर्श देने वाली भेषजियों को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी होंगी –

(i) केवल पंजीकृत भेषजज्ञ ही परामर्श देने का काम करते हैं ;

(ii) गोपनीय बातचीत की सुविधाएँ प्रदान की जायें और रोगी की गोपनीयता रखी जाए ;

(iii) रोगी सूचना के पर्चे दिए जाते हैं ;

(iv) उचित प्रलेखन किया जाता है ;

(v) अनावश्यक परामर्श से बचना चाहिए ;

(vi) रोगी के फायदे का परामर्श, हर परामर्श में, रोगी का फायदा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। मामले में लगे सभी पंजीकृत भेषजज्ञ रोगी और उसके परिचरों के साथ बेझिझक रहने चाहिए।

(vii) परामर्श देने में समय पालन परामर्श के लिए स्वयं को उपलब्ध कराने में पंजीकृत भेषजज्ञ को समय पाबंदी का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

अध्याय–5

10. पंजीकृत भेषजज्ञों के एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व :–

पंजीकृत भेषजज्ञ सभी पंजीकृत भेषजज्ञ और उनके अव्यवहित पारिवारिक आश्रितों को आनुग्रहिक सेवा प्रदान करना सुखदाई और अपना विशेषाधिकार समझना चाहिए।

10.1 परामर्श आचार : परामर्श देने में कोई निष्ठाहीनता, प्रतिद्वंदिता या द्वेषभाव सामने नहीं आना चाहिए। मामले के प्रभारी पंजीकृत भेषजज्ञ के प्रति पूरा उचित सम्मान दिखाना होगा तथा ऐसा कोई कथन या टिप्पणी न की जाए जिससे उसमें माने गए विश्वास की हानि हो। इस प्रयोजन के लिए, रोगी या उसके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कोई वाद-विवाद न किया जाए।

10.2 प्रतिस्थानी भेषजज्ञ की नियुक्ति : जब कभी कोई पंजीकृत भेषजज्ञ से यह अनुरोध करे कि उसके व्यवसाय में उसकी अस्थायी अनुपस्थिति में वह उसके रोगी का ध्यान रखे तो वृत्तिक शिष्टाचार की अपेक्षा है कि वह ऐसी नियुक्ति को तभी स्वीकार करे जब वह अपने अन्य कार्य के साथ-साथ अतिक्ति उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में समर्थ हो। ऐसी नियुक्ति या कार्यवाही करने वाला पंजीकृत भेषजज्ञ अनुपस्थित पंजीकृत भेषजज्ञ के हित और प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखेगा तथा उसके काम पर लौटने पर वह ऐसे सभी रोगियों को उसकी देखभाल में सौंप देगा।

अध्याय–6

11. जनसाधारण और वृत्ति के प्रति पंजीकृत भेषजज्ञ के कर्त्तव्य :–

11.1 नागरिक के रूप में पंजीकृत भेषजज्ञ : अच्छे नागरिकों के रूप में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त पंजीकृत भेषजज्ञ लोक स्वास्थ्य के मुद्दों पर अपनी सलाह को सार्वजनिक करेंगे। उन्हें समाज की विधियों को प्रवर्तित करने में तथा उन संस्थानों को कायम रखने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए जो मानवता के हितों का

संवर्धन करे। वे स्वच्छता/लोक स्वास्थ्य विधियों और विनियमों को लागू करने में प्राधिकारियों के साथ विशिष्ट रूप से सहयोग करे।

11.2 **<u>लोक और सामुदायिक स्वास्थ्य</u>** : पंजीकृत भेषजज्ञ विशेषकर जो लोक स्वास्थ्य के कार्य में लगे हैं, महामारी और संचारी बीमारियों की रोकथाम के लिए संगरोध विनियमों और रक्षोयायों के संबंध में जनता को जागरूक करेंगे। पंजीकृत भेषजज्ञ, सर्वदा, स्वास्थ्य प्राधिकरणों की विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार अपनी देखभाल में संचारी बीमारी का हर मामला लोक स्वास्थ्य प्राधिकरणों को सूचित करेंगे। जब महामारी आ जाए तो पंजीकृत भेषजज्ञ स्वयं को बीमारी लगने के भय के कारण अपने कर्त्तव्य से विमुख नहीं होगा।

11.3 **<u>काया चिकित्सक/नर्सें</u>** : पंजीकृत भेषजज्ञ आवश्यकता पड़ने पर काया चिकित्सकों, दंतचिकित्सकों और नर्सों का सहयोग मांगेगा।

<u>अध्याय-7</u>

12. अनैतिक कृत्य :-

कोई भी पंजीकृत भेषजज्ञ निम्नलिखित किसी भी कृत्य में, जिन्हें अनैतिक माना जाएगा, सहायता, उत्प्रेरण नहीं करेगा अथवा ऐसे कृत्य को स्वयं नहीं करेगा।

12.1 विज्ञापन देना –

क. किसी पंजीकृत भेषजज्ञ द्वारा, पंजीकृत भेषजज्ञ समूह द्वारा या संस्था या संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः रोगियों की याचना करना अनैतिक कृत्य है। कोई पंजीकृत भेषजज्ञ अपने नाम का प्रयोग अकेले या दूसरों के साथ मिलकर, किसी भी ढंग से, विज्ञापन या प्रचार-प्रसार करने के किसी भी रूप में या रीति से ऐसे विषय के रूप में नहीं करेगा जिसका चरित्र ऐसा हो जिससे ध्यान उसकी ओर या उसकी वृत्तिक स्थिति, कौशल, योग्यता, उपलब्धियों, प्राप्तियों, विशेषज्ञताओं, नियुक्तियों, संगमों, सम्बद्ध करने और या ऐसे पात्र के सम्मान की ओर आकृष्ट हो साधारणतया जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत कर पाएगा। कोई पंजीकृत भेषजज्ञ किसी संपत्ति या उसकी क्वालिटी या उसके प्रयोग के संबंध में किसी औषधि, औषध, नोस्ट्रम उपचार, शल्य चिकित्सीय या चिकित्सीय वस्तु, उपकरण या उपयंत्र या किसी वाणिज्यिक उत्पाद या वस्तु के संबंध में कोई अनुमोदन, सिफारिश, समर्थन, प्रमाणपत्र, रिपोर्ट या कथन अथवा किसी भी ढंग से विज्ञापन के किसी भी रूप में या रीति से किसी परीक्षण, प्रदर्शन या उसके ट्रायल या अपने नाम, हस्ताक्षर या फोटोग्राफ के संबंध में उसके प्रयोग की बाबत किसी व्यक्ति को प्रतिकर पर या उसके बिना नहीं देगा और न ही वह रोग के मामलों, इलाजों या उपचारों की डींग मारेगा अथवा किसी भी ढंग से उसकी रिपोर्ट के प्रकाशन की इजाजत देगा। फिर भी पंजीकृत भेषजज्ञ को निम्नलिखित के बारे में औपचारिक घोषणा करने की इजाजत होगी :-

(i) व्यवसाय आरंभ करने के बारे में,

(ii) पता बदलने के बारे में

ख. अपने लैटरहैड में या भेषजी या किसी ऐसे स्थापन के साइन बोर्ड पर अपना फोटोचित्र छपवाने को अथवा प्रचार-प्रसार की ऐसी कोई सामग्री छपवाने को पंजीकृत भेषजज्ञ के आत्म विज्ञापन और अनैतिक आचरण के कृत्य के रूप में माना जाएगा। तथापि औषधियों के रेखाचित्र, आरेख और चित्र छपवाना अनैतिक नहीं माना जाएगा।

12.2 छूट (रिबेट) और कमीशन –

कोई पंजीकृत भेषजज्ञ/भेषजी औषधियों के विक्रय/वितरण के लिए किसी रोगी को रेफर करने, उसके लिए सिफारिश करने या उसे हासिल करने के लिए कोई उपहार, उपदान, कमीशन या बोनस नहीं देगा, याचना नहीं करेगा या प्राप्त नहीं करेगा और न ही देने, याचना करने या प्राप्त करने की प्रस्थापना करेगा। कोई पंजीकृत भेषजज्ञ औषधियों के विक्रय/वितरण के किसी शुल्क में विभाजन, अंतरण, समनुदेशन, अधीनता, रिबेटिंग, बांटने या प्रतिप्रेषित करने के कृत्य में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सहभागी नहीं बनेगा या उस कृत्य में पक्षकार नहीं होगा।

12.3 गुप्त उपचार –

पंजीकृत भेषजज्ञ द्वारा गुप्त औषध पदार्थ का औषधपत्र बनाना या वितरण करना, जिसकी रचना अथवा विनिर्माण या उनके प्रयोग के उन्नयन के बारे में जानकारी नहीं है, अनैतिक है और इस प्रकार प्रतिबंधित है। पंजीकृत भेषजज्ञ द्वारा वितरित सब औषधियों पर औचित्य सूत्र और स्पष्ट नाम अंकित होगा।

12.4 मानवाधिकार –

पंजीकृत भेषजज्ञ यंत्रणा में न तो सहायता देगा या दुष्प्रेरण करेगा और न ही मानसिक या शारीरिक ट्रामा (अभिघात) करने में या मानवाधिकार के स्पष्ट उल्लंघन में किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण द्वारा कारित यंत्रणा को छुपाने में पक्षकार बनेगा।

अध्याय-8

13. अवचार :-

पंजीकृत भेषजज्ञ की ओर से निम्नलिखित कृत्य या लोप वृत्तिक अवचार होंगे जिसके लिए उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी –

क. अधिनियम के अधीन निर्मित विनियमों का उल्लंघन ;

ख. पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के औषधपत्र के बिना औषधियाँ देना, जो केवल औषधपत्र पर दी जानी चाहिए ;

ग. पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के अनुमोदन/सम्मति के बिना औषधपत्र का प्रतिस्थापन ;

घ. भेषजी स्वामी को भेषजी में भाग लिए बिना उसके भेषजज्ञ पंजीकरण प्रमाण-पत्र का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात करना ;

ड. अपने भेषजज्ञ पंजीकरण प्रमाण-पत्र को एक से अधिक भेषजज्ञों को देना ;

च. विनियम 6.2 क के अनुसार 5 वर्ष की अवधि तक अपने रोगियों के औषधपत्र/नुस्खे के अभिलेख न रखना तथा रोगी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के मांगने पर उसे 72 घंटे के भीतर न देना ;

छ. राज्य भेषजी परिषद् द्वारा उसे दिए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र को अपनी भेषजी में प्रदर्शित न करना ;

ज. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और/या भेषजी अधिनियम, 1948 के अधीन नियुक्त किए गए निरीक्षक को निरीक्षण/जांच/अन्वेषण करने से अवरूद्ध करना ;

झ. रोगी के साथ जारकर्म या अनुचित आचरण करना अथवा रोगी के साथ अनुचित सहाचर्य बनाकर अपनी वृत्तिक स्थिति का दुरूपयोग करना, इससे पंजीकृत भेषजज्ञ भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 36 में यथा उपबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही के दायित्वाधीन हो जाएगा ;

ञ. नैतिक अधमता/आपराधिक कृत्य वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि ;

ट. **वृत्तिक प्रमाणपत्रों, रिपोर्टों और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना** : पंजीकृत भेषजज्ञ कुछ मामलों में, न्यायालयों में पश्चात्वर्ती उपयोग के लिए या प्रशासनिक प्रयोजनों आदि के लिए अपनी वृत्तिक हैसियत में अपने हस्ताक्षर से प्रमाणपत्र, अधिसूचना, रिपोर्ट और उसी प्रकार के अन्य दस्तावेज देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो सकेगा अथवा देने के लिए समय-समय पर अपेक्षित किया जा सकेगा अथवा उससे अनुरोध किया जा सकेगा। कोई भी पंजीकृत भेषजज्ञ, जिसे यह दिखा दिया जाए कि उसने अपने नाम और प्राधिकार से किसी ऐसे प्रमाणपत्र, अधिसूचना, रिपोर्ट या वैसे ही प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं या दिया है जो असत्य, भ्रामक या अनुचित है;

ठ. अनर्हित व्यक्ति को आधुनिक आयुर्विज्ञान में दक्षता का प्रमाणपत्र देना ;

(टिप्पण : पूर्वगामी पंजीकृत भेषजज्ञ की निजी देख-रेख में सद्भाविक छात्र भेषजज्ञ का उचित प्रशिक्षण और अनुदेशन निर्बाधित नहीं है।)

ड. बीमारियों और उपचारों के बारे में प्रेस लेख लिखना और साक्षात्कार देना जिसके परिणामस्वरूप स्वयं का विज्ञापन हो सकता है या व्यवसाय की याचना हो सकती है, किन्तु वह अपने स्वयं के नाम से लोक स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन विषयों पर साधारण प्रेस में लिखने के लिए स्वतंत्र है अथवा सार्वजनिक व्याख्यान देने के लिए, रेडियो/टी.वी./इन्टनेट पर उसी प्रयोजन के लिए वार्ता दे सकता है तथा उसकी उद्घोषणा साधारण प्रेस को भेज सकता है ;

ढ़. किसी रोगी की उन गुप्त बातों को प्रकट करना जो उसे अपनी वृत्ति का प्रयोग करते समय ज्ञात हुई है, किन्तु निम्नलिखित बातें इसमें सम्मिलित नहीं है :-

(i) पीठासीन न्यायिक अधिकारी के आदेश से न्यायालय में,

(ii) उन परिस्थितियों में जिनमें, किसी खास व्यक्ति या समुदाय के लिए गंभीर और अभिज्ञात संकट है, तथा

(iii) अधिसूचनीय रोगों के लिए

ण. पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के औषधपत्र पर मात्र धार्मिक आधार पर औषधियाँ देने से इंकार करना।

त. किसी आयुर्विज्ञान या अन्य पत्रिका में रोगियों की इजाज़त के बिना उनके फोटोचित्र या केस रिपोर्ट ऐसी रीति से प्रकाशित करना जिससे उनकी पहचान प्रकट हो सके। तथापि यदि पहचान प्रकट नहीं होती है तो सम्मति जरूरी नहीं है।

थ. पंजीकृत भेषजज्ञ द्वारा भेषजी चलाए जाने तथा उसकी सहायता करने के लिए अपंजीकृत भेषजज्ञ को नियोजित करने की स्थिति में, अंततोगत्वा उत्तरदायित्व पंजीकृत भेषजज्ञ का होता है।

द. रोगियों को हासिल करने के लिए दलालों या एजेन्टों का प्रयोग करना।

ध. अपने आप को विशेषज्ञ बताना

न. यदि ग्रामीण क्षेत्र में तैनात पंजीकृत भेषजज्ञ जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण प्रमुख या अध्यक्ष, जिला परिषद् के निरीक्षण के दौरान बिना सूचना के दो से अधिक अवसरों पर अनुपस्थित पाया जाए तो उसे अवचार माना जाएगा।

प. यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजज्ञ किसी अन्य भेषजी/भेषजी महाविद्यालय/संस्था/उद्योग/किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जाएगा तो इसे अवचार माना जाएगा।

अध्याय–9

14. दंड और अनुशासनात्मक कार्यवाही :–

क. यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि अपराधों और वृत्तिक अवचार के उदाहरण जो ऊपर दिए गए हैं, उन बदनाम कृत्यों की पूरी सूची नहीं है तथा सूची गठित करने के लिए आशायित नहीं है जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है, और यह कि इस सूचना को जारी करके भारतीय भेषजी परिषद् और/या राज्य भेषजी परिषदें किसी भी तरह, पंजीकृत भेषजज्ञ की ओर से वृत्तिक अवचार के किसी भी अन्य रूप पर विचार करने और व्यवहार करने से प्रविरत नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं और उत्पन्न होती हैं जिनके संबंध में वृत्तिक अवचार के प्रश्न उठ सकते हैं जो इनमें से किसी भी प्रवर्ग में नहीं आते। हर संभव ध्यान रखना चाहिए कि संहिता का उल्लंधन शब्दों या भावना में न हो। अन्य सबकी भांति ऐसे दृष्टांतों में भारतीय भेषजी परिषद् और/या राज्य भेषजी परिषदों को भारतीय भेषजी परिषद और/या राज्य भेषजी परिषदों के समक्ष लाए गए तथ्यों पर विचार करके फैसला करना होता है।

ख. वृत्तिक अवचार की कोई भी शिकायत भारतीय भेषजी परिषद्/संबंधित राज्य भेषजी परिषद् के समक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए लाई जा सकती है। वृत्तिक अवचार की कोई शिकायत प्राप्त होने पर भारतीय भेषजी परिषद्/संबंधित राज्य परिषद् जांच करेगी तथा पंजीकृत भेषजज्ञ को स्वयं या प्लीडर के माध्यम से सुने जाने का अवसर प्रदान करेगी। यदि पंजीकृत भेषजज्ञ को वृत्तिक अवचार करने का दोषी पाया जाए तो भारतीय भेषजी परिषद्/संबंधित राज्य भेषजी परिषद् ऐसा दण्ड दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे अथवा अपचारी पंजीकृत व्यवसायी का नाम रजिस्टर से सदा के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए निकालने का निदेश दे सकेगी/रजिस्टर से नाम का विलोप स्थानीय प्रेस में एवं विभिन्न भेषजी संघों/सोसायटियों/निकायों के प्रकाशनों मे व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा।

ग. यदि रजिस्टर से नाम निकालने का दण्ड एक सीमित अवधि के लिए है तो संबंधित राज्य भेषजी परिषद् यह भी निदेश दे सकेगी कि इस प्रकार निकाला गया नाम उस अवधि के बीतने के बाद, जिसके लिए नाम हटाने का आदेश दिया गया था, रजिस्टर में पुनः स्थापित कर दिया जाएगा।

घ. अपचारी पंजीकृत भेषजज्ञ के विरूद्ध शिकायत पर विनिश्चय 6 मास की कालावधि में किया जाएगा।

ड. शिकायत के लम्बित रहते संबंधित राज्य भेषजी परिषद् पंजीकृत भेषजज्ञ को उस प्रक्रिया या व्यवसाय को करने से प्रतिबंधित कर सकेगी जो संवीक्षाधीन है।

च. वृत्तिक अक्षमता भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा विहित दिशा–निर्देशों के अनुसार पीयर समूह द्वारा निर्णीत की जाएगी।

छ. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और भेषजी अधिनियम, 1948 के अधीन नियुक्त निरीक्षक के कार्य में जानबूझकर अवरोध का अपराध संबंधित अधिनियम में यथा उपबंधित दण्डनीय हैं।

अर्चना मुदगल, निबन्धक एवं सचिव

[विज्ञापन– III/4/असा./101/14]

परिशिष्ट–I

घोषणा

(विनियम 3.1 देखिए)

(भेषजज्ञ रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए राज्य भेषजी परिषद् में आवेदन करते समय प्रस्तुत की जाएगी)

1. मैं अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित करने की निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ।
2. किसी भी धमकी के बावजूद मैं अपने भेषजी ज्ञान को मानवता की विधियों के प्रतिकूल इस्तेमाल नहीं करूँगा।
3. मैं गर्भधारण के समय से मानव जीवन के प्रति परम सम्मान रखूँगा।
4. मैं अपने कर्तव्य और अपने रोगी के बीच धर्म, राष्ट्रीयता, मूलवंश, दलगत राजनीति या सामाजिक स्तर के मानदण्डों को बाधा नहीं बनने दूँगा।
5. मैं अपनी वृत्ति का व्यवसाय शुद्ध अंतः करण और गरिमा के साथ करूँगा।
6. मेरे रोगी का स्वास्थ्य मेरी पहली प्राथमिकता होगी।
7. मैं उन गुप्त बातों का सम्मान करूँगा जो मुझे ज्ञात हुई हैं।
8. मैं अपने शिक्षकों के प्रति आदर और कृतज्ञता प्रकट करूँगा।
9. मैं भेषजी वृत्ति की प्रतिष्ठा और महान परम्पराओं को अपनी पूरी सामर्थ्य से अक्षुण्ण रखूँगा।
10. मैं अपने सहकर्मियों के साथ पूरे आदर और गरिमा के साथ बर्ताव करूँगा।
11. मैं भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा निर्धारित की गई संहिता का पालन करूँगा।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने उपर्युक्त घोषणा को पढ़ लिया है और सहमत हूँ। मैं ये प्रतिज्ञाएँ निष्ठापूर्वक, मुक्तभाव से तथा अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर करता हूँ।

हस्ताक्षर……..

नाम……

स्थान……..

पता……

…….

तारीख : ……..

परिशिष्ट–II

औषधपत्र (प्रैसक्रिप्शन) अभिलेख का फार्मेट

(विनियम 6.2 देखिए)

रोगी का नाम……

आयु……

लिंग……

पता……

व्यवसाय……..

प्रथम विजिट की तारीख…….

निदान : ……

औषधपत्र : .....

अनुवर्ती कार्यवाही : .....

तारीख : .....

टिप्पणी : .....

पूरे हस्ताक्षरः .....

पंजीकृत भेषजज्ञ का नाम और पंजीकरण संख्या .....

परिशिष्ट–III

अस्पताल भेषजी व्यवसाय स्थल पर भेषजज्ञ की स्थिति का नाम और कार्य उत्तरदायित्वों का विवरण

1. जॉब (कार्य) पहचान :–

1.1	स्थिति का नाम	:	भेषजज्ञ
1.2	कार्य स्थान (जो समुचित हो)		
	मंत्रालय	:	स्वास्थ्य
	विभाग	:	चिकित्सा सेवाएँ
	प्रभाग	:	स्वास्थ्य देखभाल एवं नैदानिक सेवाएँ
	अनुभाग	:	भेषजिक सेवाएँ
	ईकाई	:	अस्पताल भेषजी/डिस्पेंसरी/भंडारगार
1.3	प्रथम स्तर पर्यवेक्षक का पद (पर्यवेक्षक का शासकीय पद)	:	उप प्रमुख/वरिष्ठ भेषजज्ञ

2. प्रयोजन, कर्तव्य और उत्तरदायित्वः–

प्रयोजन : भेषजिक देखभाल और सेवा कारगर ढंग से प्रदान करने के लिए तकनीकी सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा संभार–तंत्र सहायता

कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व	समय प्रतिशतता
अस्पताल में	
• पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के औषधपत्र पर रोगी को औषधियां देना	35
• रोगी को सलाह देना और स्वास्थ्य शिक्षा देना	10
• भेषजी विभाग के प्रबंध में सहायता करना	10
• ए.डी.आर. का अभिलेख रखना	5
• अंतरंग रोगियों को भेषजिक सेवाएँ उपलब्ध कराना	5
• तात्कालिक निर्मित और विशेषीकृत उत्पाद निर्मित करना	5
• रोगी की बेहतर देखभाल के लिए निदानज्ञ (क्लिनिसियन) स्वास्थ्य वृत्तिक के साथ चर्चा	5
• औषधपत्र सर्वेक्षण करना तथा अनिवार्य औषध सूची में परिवर्तन प्रस्तावित करना	5
• जब कभी आवश्यक हो तो आपात कार्य करना	5
• औषधियों और गैर–औषधियों को इंडेन्ट करना और उसकी पड़ताल करना	5
• ईकाई के उपस्करों और अन्य प्रदायों का अभिलेख रखना	5
• अभिलेख और साहित्य का प्रलेख	5

कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व	समय प्रतिशतता
अनिवार्य औषधियाँ और टीका	
• देश/राज्य की वार्षिक औषधि आवश्यक की मात्रा की समीक्षा	20
• विभिन्न अस्पतालों के भंडारियों से प्राप्त वार्षिक मांग सूचियों का सत्यापन	20
• वस्तु सूची मानिटरिंग, भौतिक सत्यापन और विश्लेषण के लिए अस्पतालों का दौरा	15
• औषधियों और अन्य सामान के प्रदाय के लिए प्रदायकर्ताओं के साथ पत्र व्यवहार	15
• सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भेषजिक प्रदायों से संबंधित मुद्दों पर विभाग के अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों से चर्चा करना	10
• विभिन्न अस्पतालों से पत्रव्यवहार करना और शीघ्र एक्सपायरी वाली औषधियों को जुटाना	10
• विविध कार्य	10

3. ज्ञान और कौशल अपेक्षाएँ :-

वर्णित कार्य के प्रदर्शन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएँ (शिक्षा का स्तर, ज्ञान, कौशल और योग्यता)

3.1 शिक्षा : भेषजी डिप्लोमा/भेषजी स्नातक

3.2 प्रशिक्षण - कुछ नहीं

3.3 अपेक्षित व्यावहारिक अनुभव की अवधि और प्रकार - नयी भर्ती

3.4 भाषा ज्ञान और अन्य विशेषीकृत अपेक्षा - अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में धारा प्रवाह हो।

4. कार्य की जटिलता :-

कार्य, उपायों, कार्य में अंतर्ग्रस्त प्रक्रियाओं और पद्धतियों की बारीकियों का, कार्य में अंतर्ग्रस्त कठिनाई और मौलिकता का विवरण : उत्तरदायित्वों में रोगी का अनुश्रवण करना और स्वास्थ्य शिक्षा सुलभ कराना अंतर्ग्रस्त है जिसका आबादी के समग्र स्वास्थ्य पर तथा रोग प्रबंधन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। इसकी अधिकारिता के अंतर्गत भेषजिक सेवाओं का विस्तृत क्षेत्र आता है चाहे वह औषधालय हो या अस्पताल हो। निर्धारित प्रक्रियाएँ और प्रविधियाँ सुनिश्चित तकनीकी प्रभावोत्पादकता तथा विशुद्धता में कार्यान्वित की जानी चाहिए। कार्यसाधक प्रक्रिया में कार्य में कोई गलती निवारित करने के लिए हर उपाय की संवीक्षा शामिल है क्योंकि वह मानव जीवन के विषय में है। जीवन रक्षक औषधियों का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें अनेक कदम उठाये जाते हैं जिससे कि जरूरतमंद रोगियों को समय से औषधि मिल सके।

5. कार्य का विषय-क्षेत्र और प्रभाव :-

कार्य प्रदर्शन की परिधि का ब्यौरा, तथा दूसरों के काम पर या संगठन के कामकाज पर कार्य के प्रभाव का विवरण : औषधियाँ स्वास्थ्य तंत्र की जीवन रेखा होती है। स्वास्थ्य देखभाल तंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है कि विभिन्न संघटक जैसे औषधियों का ठीक से सेवन, लागत और प्रदाय, संसाधनों का तार्किक उपयोग, छीजन को न्यूनतम करना, तथा तर्कसंगत औषधियां लिखना कैसे काम करते हैं। भेषजज्ञ उन्हें कार्यान्वित और सवंर्धित करने में पूर्णतः तल्लीन रहता है और इस प्रकार वह राष्ट्र की समग्र अर्थ व्यवस्था में योगदान करता है। भेषजज्ञ रोगियों को सलाह देने, औषधियों के तर्कसंगत चयन के बारे में औषधियाँ लिखने वालों को सलाह देने में सीधे-सीधे अंतर्कलित होता है। अतः रोगी की संपूर्ण देखभाल पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

6. उपलब्ध अनुदेश और दिशा-निर्देश :-

6.1 अनुदेश

वरिष्ठ द्वारा कार्य पर नियंत्रण के प्रयोग का विवरण, कार्य किस प्रकार सौंपा जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है और मूल्यांकन किया जाता है :

कार्य का सम्पादन वार्षिक कार्य योजना तथा ज्येष्ठ भेषजज्ञों के नियमित पर्यवेक्षण पर आधारित होता है।

6.2 <u>दिशानिर्देश</u>

लिखित या अलिखित दिशानिर्देश जो उपलब्ध है ; और वह सीमा जिस तक कर्मचारी नये दिशानिर्देशों की व्याख्या अनुकूलन या युक्तिकरण कर सकते हैं :

- वार्षिक कार्य योजना
- भेषजिक देखभाल और सेवाओं संबंधी मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ/अस्पताल दिशानिर्देश
- मानक विनिर्माण अनुदेश
- भेषजी अधिनियम और अन्य विधियाँ जो विनियमों में ऊपर विनिर्दिष्ट हैं।

7. कार्य संबंध :-

सौंपे गए संगठन के भीतर और बाहर दूसरे लोंगो के साथ संपर्क की बारम्बारता, प्रकृति और प्रयोजन (वरिष्ठ लोगों से संपर्क से भिन्न)

भेषजिक सेवा औषधि प्रभावोत्पादकता, किन्हीं प्रतिक्रियाओं और जटिलताओं पर मानिटर करने, सलाह देने और अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए रोगियों तथा अन्य वृत्तिकों के साथ निरन्तर बातचीत अपेक्षित है। वृत्ति में सर्वोत्तम रोगी देखभाल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्वास्थ्य वृत्तिकों के साथ निरन्तर बातचीत भी अपेक्षित है।

8. अन्य लोगों का पर्यवेक्षण :-

इस पद का उत्तरदायित्व दूसरों का पर्यवेक्षण करना है जिसके अंतर्गत पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्वों की प्रकृति तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रवर्ग और संख्या भी है जिनका प्रत्यक्षतः और परोक्षतः पर्यवेक्षण होता है। वे हैं : —

औषधियों के उचित भण्डारण, प्रबंधन, वितरण तथा उचित उपयोग पर बुनियादी स्वास्थ्य ईकाई में तकनीशियनों एवं अन्य कार्यकताओं का पर्यवेक्षण।

9. कार्य (जॉब) पर्यावरण :-

शारीरिक मांगें जो अपेक्षित हैं जैसे चलना, खड़े होना, भारी वस्तुओं को उठाना आदि, और/या कोई जोखिम या कष्ट जैसे संकटों से जूझना जैसे रासायनिक संक्रमण, विकीरण, अति शरद या गरम ऋतु और अन्य प्रतिकूल अवस्थाओं में काम करना :

औषध योजन में रसायनों का प्रयोग होता है और कुछ पदार्थों को छूना या सूंघना खतरनाक हो सकता है उससे लम्बी असाध्य बीमारी हो जाती है। रोगियों के स्पर्श से संचारी रोग का जोखिम बढ़ जाता है तथा अन्य वृत्ति संबंधी कार्य के खतरे बढ़ जाते हैं जैसे सुई लगाने की जोखिम जिससे एच.आई.वी. और हेपिटाइटिस जैसे रोग हो सकते हैं।

<u>अस्पताल भेषजी व्यवसाय आदि में वरिष्ठ भेषजज्ञ की स्थिति और जॉब (कार्य) उत्तरदायित्वों का ब्यौरा</u> –

1. जॉब पहचान :-

1.1 स्थान का नाम : वरिष्ठ भेषजज्ञ

1.2 कार्य स्थल
(समुचित रूप से पूरा)

मंत्रालय	:	स्वास्थ्य
विभाग	:	चिकित्सा सेवाएँ
प्रभाग	:	स्वास्थ्य देखभाल एवं नैदानिक सेवाएँ
अनुभाग	:	भेषजी सेवाएँ
इकाई	:	अस्पताल भेषजी/डिस्पेंसरी/भंडारगार

1.3 प्रथम स्तरीय पर्यवेक्षक की स्थिति (पर्यवेक्षक का शासकीय पदनाम) : संबंधित क्षेत्रों के प्रमुख/उपप्रमुख

2. प्रयोजन, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व :–

प्रयोजन, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व यह इंगित करते हुए कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए/प्रयोजन संगठन के मिशन और लक्ष्यों की स्थिति को सम्बद्ध करते हुए एक संक्षिप्त कथन होना चाहिए तथा उस स्थान की कार्यमात्रा विनिर्दिष्ट की जाए। कर्त्तव्य समय के घटते प्रतिशत क्रम में अथवा सापेक्षिक महत्त्व के क्रम में प्रस्तुत किए जाएं।

प्रयोजन : भेषजिक सेवा प्रभावकारी ढंग से प्रदान करने के लिए तकनीकी सेवा तथा तर्कसम्मत सहायता, दक्षतापूर्ण उत्पादन तथा प्रदाय प्रबंध उपलब्ध कराना, विनियमों को लागू करना तथा औषधियों और अन्य आयुर्विज्ञान प्रदायों के क्वालिटी आश्वासन को बढ़ावा देना, तथा अस्पताल में भेषजिक सेवाओं का प्रबंध करना है।

कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व	समय प्रतिशतता
अस्पताल में	
• भेषजिक प्रदायों की योजना बनाना तथा आवश्यक निधि एकत्र करना	15
• विभागीय क्रियाकलापों की योजना बनाना और समन्वय करना	15
• अस्पताल में भेषजिक सेवाओं का प्रबंध करना	10
• छात्र प्रशिक्षुओं सहित कर्मचारियों के पर्यवेक्षण को मानिटर करना और उपलब्ध कराना	10
• अंतरंग रोगियों की ए.डी.आर. का पर्यवेक्षण और मानिटर करना	10
• शैक्षिक और शोध कार्यक्रम में भाग लेना	10
• ऐण्टिबायोटिक प्रतिरोध अध्ययन संचालित करना	10
• वार्ड भ्रमण पर जाना और अंतरंग रोगी भेषजिक सेवा–प्रदान करना	10
• भेषजिक चिकित्सा पर चर्चा के लिए विशेषज्ञों और नुस्खा बनाने वाले क्लीनिसियनों से विचार विमर्श करना	05
• सतत शिक्षा प्रदान करना और वरिष्ठों की सहायता करना	05

अधीनस्थों का पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण (भेषजज्ञ और भेषजी तकनीशियन तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता	**समय %**
प्रदाय प्रबंध में	
• आयुर्विज्ञान प्रदायों के परिमाण, प्रापन और वितरण को मानिटर करना	20
• मांग पत्रों और प्रदायकर्ताओं को मानिटर करना	20
• अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना	20
• योजनाएँ और बजट बनाना	20
• स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सतत् शिक्षा देना	20
• आवश्यकतानुसार वरिष्ठों की सहायता करना	20

3. ज्ञान और कौशल अपेक्षाएँ :–

वर्णित कार्य करने के लिए न्यूनतम अपेक्षा (शिक्षा, ज्ञान, कौशल और योग्यता का स्तर)

3.1 शिक्षा : भेषजी डिप्लोमा/भेषजी स्नातक/भेषजी डाक्टर (फार्म.डी)

3.2 प्रशिक्षण : औषधि प्रशासन, भेषजी अर्थशास्त्र, और भेषजी जानपदिक ऐग विज्ञान, विषविज्ञान, अनुसंधान और परियोजना डिजाइन

3.3 अपेक्षित व्यावहारिक अनुभव की अवधि और प्रकार : डी.फार्म–भेजषज्ञ के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव

बी.फार्म/फार्म.डी–सीधी भर्ती

3.4 भाषाओं का ज्ञान तथा अन्य विशेषीकृत आवश्यकता : प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी में धारा प्रवाह से तथा अन्य आंचलिक भाषाओं में बात करने की योग्यता एक उत्तम पूंजी है।

4. कार्य की जटिलता :–

कार्य की बारीकियां, कार्य में उपाय, प्रक्रियाएँ या पद्धतियां, कार्य में आने वाली कठिनाई और उसकी मौलिकता

भेषजिक सेवा एक बहुत तकनीकी वृत्ति है और इसमें स्वप्रेरण तथा वृत्तिक आचार अपेक्षित है इसकी अधिकारिता का विस्तार अनेक सेवाओं तक है। साधारण पर्यवेक्षण के अधीन वरिष्ठ भेषजज्ञ व्यापक विस्तार के काम करता है जिसमें विस्तृत अनुभव, अपेक्षित है, तथा 60 बिस्तर के अस्पताल में या सुसंगत भेषजिक सेवाओं के ज्ञान का प्रयोग अपेक्षित है। इस पद पर अनेक उपाय करने के साथ-साथ जीवन रक्षक औषधियों का प्रबंध भी अपेक्षित है ताकि जरूरतमंद रोगियों को औषधियां समय से दी जा सके।

5. कार्य का विषयक्षेत्र और प्रभाव :–

कार्य करने की अवधि, और कार्य का प्रभाव जो अन्य के काम पर या संगठन के कार्यों पर पड़ता है।

यह स्थिति ऐसे क्षेत्रों में एक अस्पताल-वार मान्यता प्राप्त वृत्तिक प्राधिकरण है जैसे फार्माकोकिनेटिक्स, संक्रामक रोग चिकित्सा, प्रतिकूल प्रतिक्रियाएँ, फार्माको - सतर्कता, अस्पताल और सम्बद्ध संगठनों के कर्मचारियों का प्रामाणिक वृत्तिक मार्गदर्शन प्रदान करना। इस कार्य में विनिर्दिष्ट नियमों, विनियमों या प्रक्रियाओं और रोगियों को सीधे प्रभावित करने वाली सेवाओं की विशुद्धता, विश्वनीयता या स्वीकार्यता शामिल है।

6. उपलब्ध अनुदेश और दिशानिर्देश :–

6.1 <u>अनुदेश</u> (वरिष्ठ द्वारा कार्य पर नियंत्रण, कार्य कैसे सौंपा जाता है, इसकी समीक्षा और इसका मूल्यांकन किया जाता है)

कार्य सौंपना वार्षिक कार्य योजना पर निर्भर करता है। कार्य की दक्षता की मानिटर करने तथा प्रगति बनाए रखने के लिए कार्य के संबंध में स्वयं और पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्यांकन अपेक्षित है।

6.2 <u>दिशानिर्देश</u> (इंगित कीजिए कौन से लिखित या अलिखित दिशानिर्देश उपलब्ध हैं, और उस सीमा को भी इंगित कीजिए जिस तक कर्मचारी नए दिशानिर्देशों का निर्वचन, अनुकूलन या युक्तिकरण कर सकेंगे।)

- वित्तीय मैनुअल (निर्देशिका)
- भेषजी अधिनियम और अन्य विधान जो इन विनियमों में वर्णित है।
- नीतिगत दस्तावेज
- पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज

7. कार्य संबंध :–

सौंपे गए संगठन के भीतर और बाहर दूसरों से संपर्कों की बारम्बारता, प्रकृति और प्रयोजन (वरिष्ठों से संपर्क से भिन्न)

भेषजिक सेवा में यह अपेक्षित है कि औषधि की प्रभावकारिता, किन्हीं अनुक्रियाओं और जटिलताओं को मानिटर करने, परामर्श देने और अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए रोगियों और अन्य वृत्तिकों के साथ निरन्तर विचारविमर्श किया जाए, इसके अतिरिक्त, इस स्थिति में अपेक्षित है कि अभिकरणों के साथ बातचीत की जाए जैसे राज्य/केन्द्र सरकार, भेषजी खुदरा विक्रेता अंतर्राष्ट्रीय भेषजिक फर्में ताकि औषधि से सम्बद्ध समस्याओं का निराकरण किया जा सके, खुदरा-विक्रेताओं को वैद्य बनाया जा सके औषधि क्वालिटी को मानिटर किया जा सके तथा खुदरा विक्रेताओं से मानक पद्धतियों का अनुपालन कराया जा सके तथा भेषजिक फर्मों के साथ औषधियों के प्रदाय के लिए बातचीत की जा सके।

8. अन्य लोगों का पर्यवेक्षण :–

इस स्थिति के व्यक्ति का उत्तरदायित्व दूसरे कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना है जिसमें पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्वों की प्रकृति, अधीनस्थों के प्रवर्ग और संख्या भी शामिल है प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का पर्यवेक्षण :

अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य ईकाइयों में औषधियों के उचित उपयोग तथा औषधियों के उचित भंडार प्रबंध के बारे में भेषजज्ञों प्रशिक्षुओं और अन्य सम्बद्ध वृत्तिकों का पर्यवेक्षण।

9. जॉब (कार्य) पर्यवेक्षण :–

शारीरिक मांगे अपेक्षित हैं जैसे चलना, खड़े होना, भारी वस्तु उठान आदि और/या कोई जोखिम या कष्ट जैसे संकटों से जूझना जैसे रायायनिक संक्रमणों विकीरण, अति शरद या गरम ऋतु और अन्य प्रतिकूल कार्य अवस्थाओं में कार्य करना :

कार्य के सभी क्षेत्रों में भेषजिक सेवाओं में लंबे समय तक खड़े रहकर डयूटी देनी पड़ती है तथा रसायनों और अन्य टॉक्सिन से बराबर निपटना होता है। रोगियों के स्पर्श से होने वाले संचारी रोगों और वृत्ति से सम्बद्ध अन्य कार्य संकटों से निपटना पड़ता है। पदधारी को भेषजिक क्रिया कलाप को मानिटर करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए तथा औषधियों एवं प्रदायों की क्वालिटी से आश्वस्त होने के लिए जिलों में बार–बार जाना पड़ता है।

<u>अस्पताल भेषजी व्यवसाय स्थल पर मुख्य भेषजज्ञ के पॉजिशन टाइटल (स्थिति का नाम) और कार्य उत्तरदायित्वों का ब्यौरा</u>

1. जॉब पहचान :–

1.1	पॉजिशन टाइटल (स्थिति का नाम)	:	मुख्य भेषजज्ञ
1.2	जॉब स्थान (समुचित रूप से पूरा हो)	:	
	मंत्रालय	:	स्वास्थ्य
	विभाग	:	चिकित्सा सेवाएँ
	प्रभाग	:	भेषजिक सेवाएँ
	अनुभाग	:	भेषजिक सेवाएँ

ईकाई : अस्पताल/डिस्पेंसरी/भण्डारगार

1.3 प्रथम स्तरीय पर्यवेक्षक का पदनाम (पर्यवेक्षक का शासकीय पदनाम) : विभाग/अस्पताल प्रमुख

2. प्रयोजन, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व :–

प्रयोजन, कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए और यह इंगित कीजिए कि क्या–क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है। प्रयोजन संक्षिप्त कथन के रूप में होना चाहिए जिसमें स्थिति (पदासीन) को संगठन के मिशन और लक्ष्यों से सम्बद्ध किया जाए तथा स्थिति की कार्य मात्रा विनिर्दिष्ट की जाए। कर्त्तव्यों को उसमें लगे समय के घटते प्रतिशत क्रम में अथवा सापेक्षिक महत्व के क्रमानुसार प्रस्तुत किया जाए।

<u>प्रयोजन</u> : भेषजिक सेवा प्रभावकारी ढंग से प्रदान करने के लिए तकनीकी सेवा तथा तर्कसम्मत सहायता दक्षतापूर्ण उत्पादन तथा प्रदाय प्रबंध उपलब्ध कराना, विनियमों को लागू करना तथा औषधियों और अन्य आयुर्विज्ञान प्रदायों के क्वालिटी आश्वासन को बढ़ावा देना तथा अस्पताल में सुचारू रूप से दवा वितरण का प्रबंध करता है।

कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व (सभी प्रवर्गों के लिए)	**समय प्रतिशतता**
• संसाधन जुटाने समेत सुसंगत क्रियाकलापों की आयोजना और कार्यान्वयन का समन्वय	40
• अनुसंधान गतिविधियां चलाना और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग को सुगम बनाना	20
• अधीनस्थ कर्मचारियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पर्यवेक्षण तथा प्रशिक्षण	15
• अस्पताल के भेषजी विभाग का प्रबंधन	10
• सुसंगत गतिविधियों को मानिटर करना तथा उनका मूल्यांकन करना	10
• वरिष्ठ द्वारा सौंपे गए किन्हीं अन्य कार्यों को पूरा करना	05

3. ज्ञान और कौशल की अपेक्षाएँ :–

वर्णित काम करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएँ (शिक्षा, ज्ञान, कौशल और योग्यता का स्तर)

3.1 **<u>शिक्षा</u>** :

पदोन्नति द्वारा और यदि यह न हो सके तो सीधी भर्ती द्वारा

3.2 **<u>प्रशिक्षण</u>** : संगठनात्मक प्रबंध, मानव संसाधन विकास और प्रबंध तथा वित्तीय प्रबंध और नीतियां, भेषजिक सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विशेषज्ञता।

3.3 **<u>अपेक्षित व्यावहारिक अनुभव की अवधि और प्रकार</u>** :
वरिष्ठ भेषजज्ञ के रूप में न्यूनतम 4 वर्ष का या समतुल्य अनुभव

3.4 **<u>भाषाओं का ज्ञान और अन्य विशेषीकृत अपेक्षा</u> –**
प्रादेशिक भाषाओं और अंगेजी में धारा प्रवाह हो। सरकारी नीतियों, नियमों तथा विनियमों में भी निपुण हो।

4. कार्य की जटिलता :–

कार्य की बारीकियां, कार्य में किए जाने वाले उपाय, प्रक्रियाएँ या पद्धतियां, कार्य में आने वाली कठिनाई और उसकी मौलिकता

इस स्थान पर ऐसा सक्षम व्यक्ति आवश्यक है जिसे गहन तकनीकी और नीतिगत मुद्दों का ज्ञान हो तथा जो उत्तरदायित्वों को स्वतंत्र रूप से पूरा करने में सक्षम है। यह पद ऐसे विभाग की वृतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आवश्यक है जहाँ विभाग अनेकों वृत्तिक और तकनीकी कार्मिकों के माध्यम से वृहत् भेषजिक सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है। यह ठीक नीतिगत फैसलों पर पहुंचने के लिए तकनीकी निकायों और आयोगों (राष्ट्रीय औषधि समिति, औषधि सलाहकार समिति, राष्ट्रीय एच.आई.वी./एड्स आयोग) को सलाह देता है। इस स्थान पर यह भी अपेक्षित है कि पदासीन व्यक्ति उच्च प्राधिकारियों को निरन्तर फीडबैक और सहायता प्रदान करे।

5. कार्य का विषय-क्षेत्र और प्रभाव :–

कार्य करने की अवधि और उस प्रभाव का वर्णन करें जिससे दूसरों के काम या संगठन के कृत्यों पर प्रभाव पड़ता है

स्वास्थ्य तंत्र की सफलता और छवि रोगियों को प्रदान की गई क्लिनिकल देखभाल से सीधी प्रभावित बेहतर होती है। भेषजिक सेवा क्लिनिक सेवाओं का आधार स्तंभ है और इसका संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल पर प्रत्यक्ष असर पड़ता है। भेषजिक सेवा की क्वालिटी पूर्णतः इस बात पर निर्भर करेगी कि उनकी आयोजना और कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाता है और इस स्थान पर आसीन प्रवर्ग की जनता को सेवा सुलभ कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

6. उपलब्ध अनुदेश और दिशानिर्देश :–

6.1 **<u>अनुदेश</u>** : (वरिष्ठ द्वारा कार्य पर नियंत्रण का उल्लेख करें तथा यह बताएं कि कार्य किस प्रकार सोंपा जाता है उसकी समीक्षा और उसका मूल्यांकन किया जाता है) :

कार्य की मात्राा की समीक्षा बैठकों, रिपोर्टों, प्रकाशनों और योजनाबद्ध गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से की जाती है। तथापि पर्यवेक्षण नीतिगत और प्रबंध मुद्दों पर विभागाध्यक्ष से तथा आवश्यकतानुसार तकनीकी क्षेत्रों के बारे में विशेषज्ञों से प्राप्त किया जाता है।

6.2 **<u>दिशानिर्देश</u>**

(इंगित करें कि कौन से लिखित एवं अलिखित दिशानिर्देश उपलब्ध हैं तथा कर्मचारी नये दिशानिर्देशों का निर्वचन, अनुकूलन या युक्तिकरण किस सीमा तक कर सकते हैं) :

- भारतीय सिविल सेवा नियम और विनियम
- वित्तीय निर्देशिका
- स्वास्थ्य विषयक भारतीय विधान

7. कार्य संबंध :–

सौंपे गए संगठन के भीतर और बाहर अन्य लोगों के साथ (वरिष्ठों के साथ की गई संविदाओं से संपर्क से भिन्न) संपर्कों की बारम्बारता, प्रकृति और प्रयोजन :

इस स्थान पर पदासीन व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि भेषजिक सेवाओं के विषयों के संबंध में नीतियों और कार्यक्रमों को निरन्तर उन्नत करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों तथा अन्तर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग किया जाए। उस व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि सुसंगत वृत्तिक समूहों और अभिकरणों के निवेशों का समन्वय किया जाए ताकि वृत्तिक अखंडता का उन्नयन हो और बेहतर विकास लक्ष्य तथा रोगियों की बेहतर देखभाल हो सके।

8. दूसरे लोगों का पर्यवेक्षण :–

उस उत्तरदायित्व का उल्लेख करें जो इस पदासीन का दूसरे कर्मचारियों के पर्यवेक्षण के प्रति है जिसके अंतर्गत पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्वों की प्रकृति तथा अधीनस्थों के प्रवर्ग और संख्या भी शामिल है प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का पर्यवेक्षण :

वह उप मुख्य भेषजज्ञों और भेषजज्ञों का पर्यवेक्षण करता है, तथा कार्य की क्वालिटी में सुधार करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य की रक्षा के उपाय करने के लिए चिकित्सा उत्पादों की क्वालिटी, प्रभावकारिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी भेषजिक डीलरों पर आद्योपांत नजर रखता है।

9. कार्य (जॉब) पर्यावरण :-

अपेक्षित शारीरिक मांगों का वर्णन कीजिए जैसे चलना, खड़े होना, भारी वस्तु उठाना आदि और/या कोई संकट सा कष्ट जो जैसे संकटों से जूझना जैसे रासायनिक संक्रमण, विकीरण, अति शरद या गरम ऋतु और अन्य प्रतिकूल कार्य अवस्थाओं में काम करना :

इस कार्य में रसायनों और अन्य टाक्सिनों से बार-बार निपटना पड़ता है। अनुसंधान कार्यों के माध्यम से रोगियों से सम्पर्क रखने से भी संचारी रोग लगने तथा अन्य वृत्ति सम्बद्ध-कार्य संकट आने की जोखिम बढ़ जाती है। इस पदधारी को भेषजिक क्रियाकलापों को मानिटर करने, अनुसंधान करने तथा औषधियों और प्रदायों की क्वालिटी से आश्वस्त होने के लिए जिलों में बार-बार जाना पड़ता है।

सामुदायिक भेषजी व्यवसाय स्थल (औषधि भंडार/भेषजी) पर सामुदायिक भेषजज्ञ की स्थिति का नाम और जॉब उत्तरदायित्वों का ब्यौरा

1. जॉब पहचानः-

1.1 स्थान पर आसीन व्यक्ति : सामुदायिक भेषजज्ञ

1.2 कार्य स्थल (जो समुचित हो) :

अनुभाग : प्राईवेट सेक्टर

इकाई : सामुदायिक भेषजी/डिस्पेंसरी/औषधि भण्डारगार

2. प्रयोजन, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व :-

प्रयोजन : भेषजिक देखभाल और सेवा कारगर ढंग से प्रदान करने के लिए तकनीकी सेवाएँ और तर्कसम्मत सहायता उपलब्ध कराना

विचित्र क्रियाकलाप के अंतर्गत ये हैं :-

- जनता को औषधिपत्र की औषधियाँ देना ;
- यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न उपचार संगत हैं ;
- मात्रा को चैक करना और यह सुनिश्चित करना कि औषधियां ठीक से और सुरक्षित रूप से सप्लाई और लेबल की गई हैं (भेषजज्ञ किसी भी औषधि वितरण की गलती के लिए विधितः जिम्मेदार है)
- किन्हीं औषधियों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना (सभी औषधियां विनिर्माता द्वारा तैयार निर्मित सप्लाई नहीं की जाती है) ;
- विधिक और स्टॉक नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित औषधियों का रजिस्टर रखना ;
- डॉक्टरों के साथ औषधि पत्रों के बारे में संपर्क करना ;
- ओवर-द-काउन्टर औषधियाँ बेचना ;
- छोटी छोटी बीमारियों के इलाज पर जनता को परामर्श और सलाह देना ;
- औषधियों की किन्हीं अनुक्रियाओं अथवा अन्य औषधियों/उपचार की भावी अनुक्रियाओं के बारे में रोगियों को सलाह देना ;
- प्रायः वृद्धों के लिए और उनके लिए भी जिनके पास स्मरणशक्ति/सीखने की कठिनाईयाँ हैं, डोसेट तथा केसट पेटियां तैयार करना जहां टेबलेट सप्ताह के खास दिनों के लिए डिब्बों में रखे जाते हैं ;

- रोगियों को यह समझने में मदद करना कि उनकी औषधियाँ किस प्रकार काम करती हैं और वे उन्हें क्यों लें, "मैडिसन यूज़ रियूज" शुरू करना ;
- औषधिपत्र में हस्तक्षेप सेवा उपलब्ध कराना ;
- सुई और सिरिंज बदलने की व्यवस्था करना ;
- आपात् हार्मोनल गर्भ निरोधक देना ;
- कम्प्रेशन होज़ियरी को मापना और फिटिंग करना ;
- रक्तदाब और कोलस्ट्रोल स्तर को मानिटर करना ;
- मधुमेह की स्क्रीन सेवा प्रस्थापित करना ;
- सगर्भता परीक्षण करवाना ;
- रोगियों को औषधिपत्र की औषधियाँ देने की व्यवस्था करना ;
- आयुर्विज्ञान उत्पादों का आदेश देने और सुरक्षित भंडारण पर नजर रखना ;
- कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों का प्रबंध ;
- भेषजी सहायक कर्मचारियों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण ;
- स्वास्थ्य देखभाल ओर अन्य उत्पादों को जैसे प्रसाधन (टायलेटरीज़), प्रसाधन सामग्री और फोटोग्राफिक वस्तुओं को बेचना ;
- बजट बनाना और वित्तीय प्रबंध
- विक्रय संवर्धन और कारोबार विकसित करना
- वर्तमान भेषजी व्यवसाय में नई औषधियों एवं उनके उपयोग को अद्यतन रखना

3. ज्ञान और कौशल अपेक्षाएँ :–

वर्णित कार्य करने की न्यूनतम अपेक्षा (शिक्षा, ज्ञान, कौशल और योग्यता का स्तर)

3.1 शिक्षा : भेषजी डिप्लोमा/भेषजी स्नातक

3.2 प्रशिक्षण : कोई नहीं

3.3 अपेक्षित व्यावहारिक अनुभव की अवधि और प्रकार – नई भर्ती

3.4 भाषाओं का ज्ञान और अन्य विशेषीकृत अपेक्षा : अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा में धाराप्रवाह

4. कार्य की जटिलता :–

कार्य की बारीकियाँ, उपाय, प्रक्रिया या कार्य की पद्धतियां, कार्य में आने वाली कठिनाई और मौलिकता

उत्तरदायित्वों के अंतर्गत रोगी को मानिटर करना तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना शामिल है जिसका सीधा प्रभाव संपूर्ण जन स्वास्थ्य पर तथा रोग प्रबंधन पर पड़ता है। उसके अधिकार क्षेत्र में अनेक भेषजिक सेवाएँ समाविष्ट हैं, चाहे वह डिस्पेन्सरी हो या अस्पताल। निर्धारित की गई प्रक्रियाओं और तकनीकों का पालन निश्चित तकनीकी प्रभावकारिता और विशुद्धता के साथ किया जाना चाहिए। काम करने की प्रक्रिया में हर कदम की जांच पड़ताल करनी होती है ताकि काम में कोई गलती न हो क्योंकि यह मानव जीवन से सम्बद्ध है। जीवन रक्षक औषधियों का प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें अनेक कदम उठाने होते हैं ताकि जरूरतमंद रोगियों को औषधियों की पूर्ति समय से हो सके।

5. कार्य का विषय-क्षेत्र और प्रभाव :–

कार्य करने की अवधि, और उसके उस प्रभाव के विषय में अन्य के काम तथा संगठन के कृत्यों पर पड़ता है, ब्यौरा :

औषधियाँ स्वास्थ्य तंत्र की जीवनरेखा होती है। स्वास्थ्य देखभाल तंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न कारक किस प्रकार काम करते हैं जैसे रोगियों द्वारा औषधियों का ठीक से सेवन, लागत और प्रदाय, संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग, न्यूनतम छीजन और तर्कसंगत नुस्खा बनाना। इन्हें कार्यान्वित करने तथा प्रौनत करने में भेषजज्ञ का पूरा योगदान रहता है और इस प्रकार वह राष्ट्र की समग्र अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। भेषजज्ञ रोगियों को परामर्श देने में, औषधियों के तर्कसंगत चुनाव में नुस्खा बनाने वाले को सलाह देने में सीधे-सीधे शामिल रहता है और इसीलिए उसकी रोगियों की सम्पूर्ण देखभाल पर प्रत्यक्ष छाप पड़ती है।

6. उपलब्ध अनुदेश और दिशानिर्देश :-

6.1 <u>अनुदेश</u>

कार्य पर वरिष्ठों के नियंत्रण काम कैसे सौंपा जाता है, उसकी समीक्षा और उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है इस संबंध में ब्यौरा :

कार्य वार्षिक कार्य योजना के अनुसार तथा वरिष्ठ भेषजज्ञों के नियमित पर्यवेक्षण में किया जाता है।

6.2 <u>दिशा-निर्देश</u>

उपलब्ध लिखित और अलिखित दिशानिर्देश ; तथा कर्मचारी नए दिशा-निर्देशों का निर्वचन, अनुकूलन या युक्तिकरण किस सीमा तक कर सकेंगे। :

- वार्षिक कार्य योजना
- भेषजिक देखभाल और सेवाओं के विषय में मानक प्रचालन प्रक्रिया/दिशानिर्देश
- भेषजी अधिनियम और अन्य विधियां जो विनियमों में ऊपर विनिर्दिष्ट हैं।

7. कार्य संबंध :-

सौंपे गए संगठन के भीतर और बाहर अन्य के साथ संपर्कों की (वरिष्ठों के साथ संपर्कों से भिन्न) बारम्बारता, प्रकृति और प्रयोजन :

भेषजिक सेवा में यह अपेक्षित है कि औषधि प्रभावकारिता किन्हीं अनुक्रियाओं और जटिलताओं के संबंध में मानिटर करने, उस पर सलाह देने और अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए, रोगियों और अन्य वृत्तिकों के साथ निरन्तर विचार आदान-प्रदान किया जाएँ। इस वृत्ति में यह भी अपेक्षित है कि रोगियों को सर्वोत्तम देखभाल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्वास्थ्य वृत्तियों के साथ निरन्तर विचारों का आदान-प्रदान किया जाए।

8. दूसरे लोगों का पर्यवेक्षण :-

अन्य कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना भी इस पद का उत्तरदायित्व है जिसके अंतर्गत पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्वों की प्रकृति और अधीनस्थों के प्रवर्ग तथा उनकी संख्या शामिल है प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का पर्यवेक्षण :

उचित भंडारण प्रबंध, औषधियों के वितरण और उचित उपयोग के बारे में सामुदायिक भेषजी में तकनीशियनों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकताओं का पर्यवेक्षण करना।

9. जॉब (कार्य) पर्यावरण :-

अपेक्षित शारीरिक मांगे जैसे चलना, खड़े होना, भारी वस्तु उठाना आदि और/या कोई जोखिम या कष्ट जैसे संकटों से जूझना जैसे रासायनिक संक्रमण, विकीरण, अति शरद या गरम ऋतु और अन्य प्रतिकूल कार्य अवस्थाएँ :

औषधि योजन में रसायनों का उपयोग शामिल होता है और कुछ पदार्थों का छूना या सूंघना जोखिम पूर्ण हो सकता है और उनसे लम्बी और असाध्य बीमारियां हो सकती हैं। रोगियों के स्पर्श से संचारी रोग और वृत्तिक से सम्बद्ध अन्य खतरे बढ़ जाते हैं जैसे सुई लगने से एच.आई.वी. और हेपिटाइटिस जैसे रोग हो सकते हैं।

स्वास्थ्य देखभाल स्थापन में (औषधि भंडार/भेषजी) भेषजी व्यवसाय स्थल पर औषधि सूचना भेषजज्ञ के जॉब (कार्य) उत्तरदायित्वों का ब्यौरा

1. जॉब (कार्य) की पहचानः–

1.1 पॉजिशन टाइटिल (स्थिति का नाम) : औषधि सूचना भेषजज्ञ

1.2 कार्य स्थल (जो समुचित हो) :

ईकाई : अस्पताल भेषजी/डिस्पेंसरी/शिक्षण अस्पताल/अन्य स्वास्थ्य देखभाल स्थापन

2. प्रयोजन, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व :–

प्रयोजन : रोगी की देखभाल करना जिससे औषधियों के उपयोग लाभदायक हों स्वास्थ्य अच्छा हो रोगी स्वस्थ हो तथा रोग का निवारण हो

<u>आधारभूत उत्तरदायित्व और क्रियाकलाप</u>

- औषधि सूचना सेवा प्रदान करना
- औषधि सूचना चक्र के दौरान भेषजी/फार्म.डी छात्रों का पर्यवेक्षण करना
- अन्य संकाय/स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ औषधि सूचना केन्द्र के प्रशासनिक क्रियाकलापों में सहभागिता
- भेषजी चिकित्सा शास्त्र समिति के औषधि मोनोग्राफों और समीक्षाओं को तैयार करने में सहयोग और सहायता करना
- औषधि सूचना केन्द्र के प्रकाशनों जैसे न्यूजलैटर और अन्य प्रकाशनों की रचना और सम्पादन
- औषधि सूचना सेवा के संबंध में सतत् क्वालिटी सुधारने के प्रयासों में योगदान करना
- डाइडेक्टिक औषधि सूचना पाठ्यक्रम में योगदान
- औषधि सूचना या हित के अन्य क्षेत्र जो प्रकाशन के लिए उपयुक्त हों, के विषय में कम से कम एक बड़ी अनुसंधान परियोजना को पूरा करना,
- विभिन्न मंचों पर अनुसंधान क्रिया कलाप प्रस्तुत करना,

<u>अन्य उत्तरदायित्व और क्रिया कलाप</u>

- भेषजी और चिकित्सा शास्त्र समिति की बैठकों में भाग लेना
- औषधि उपयोग प्रबंध क्रिया कलाप में योगदान करना
- औषधि सूचना सेवा से संबंधित परियोजनाओं जिनकी जरूरत हो, उनके बारे में अन्य शिक्षकों के साथ काम करना।
- वृहत्/राष्ट्रीय भेषजी बैठक में भाग लेना
- औषधि सूचना केन्द्र की उद्यमी गतिविधियों में सहभागिता

3. ज्ञान और कौशल अपेक्षाएँ :–

वर्णित कार्य करने की न्यूनतम अपेक्षाएँ (शिक्षा, ज्ञान, कौशल और योग्यता का स्तर) :

3.1 शिक्षा : भेषजी स्नातक/फार्म.डी

3.2 प्रशिक्षण : औषधि सूचना रेजिडेन्सी

3.3 अपेक्षित व्यावहारिक अनुभव की अवधि और प्रकार : नई भर्ती

3.4 भाषाओं का ज्ञान और अन्य विशेषीकृत अपेक्षा : अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा में धाराप्रवाह हो

4. कार्य की जटिलता :-

कार्य की बारीकियों, उपायों, प्रक्रियाओं या कार्य पद्धतियों, कार्य में आने वाली कठिनाई तथा मौलिकता के संबंध में ब्यौरा :

इन उत्तरदायित्वों में रोगी को मानिटर करना और स्वास्थ्य शिक्षा सुलभ कराना शामिल है जिसकी समग्र जन

स्वास्थ्य तथा रोग प्रबंध पर प्रत्यक्ष छाप पड़ेगी। इसके अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत अनेकों भेषजिक सेवाएँ समाविष्ट हैं चाहे डिस्पेन्सरी में अथवा अस्पताल में।

5. कार्य का विषय-क्षेत्र और प्रभाव :-

कार्य प्रदर्शन की अवधि और उस प्रभाव के बारे में, जो इस कार्य का दूसरों के काम या संगठन के कृत्यों पर पड़ता है, विवरण :

औषधियाँ स्वास्थ्य तंत्र की जीवन रेखाएँ हैं। स्वास्थ्य देखभाल तंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न कारक काम करें जैसे औषधियों का रोगी द्वारा ठीक से सेवन करना, लागत और प्रदाय संसाधनों का तर्कसंगत नुस्खा बनाना। भेषजज्ञ का उन्हें क्रियान्वित और प्रोन्नत करने में पूरी तरह संलग्न रहना और इस प्रकार राष्ट्र की समग्र अर्थ व्यवस्था में योगदान करना। भेषजज्ञ रोगियों को परामर्श देने, औषधियों के तर्कसंगत चुनाव में, नुस्खा बनाने वालों को सलाह देने के कार्य से प्रत्यक्षतः जुड़ा रहता है और इसीलिए वह रोगी की सम्पूर्ण देखभाल पर प्रत्यक्ष छाप छोड़ता है।

6. उपलब्ध अनुदेश और दिशानिर्देश :-

6.1 <u>अनुदेश</u> : कार्य पर वरिष्ठ के नियंत्रण, कार्य कैसे सौंपा जाता है, उसकी समीक्षा और मूल्यांकन कैसे किया जाता है इस संबंध में विवरण :

कार्य वार्षिक कार्य योजना तथा वरिष्ठ भेषजज्ञों के पर्यवेक्षण के अनुसार किया जाता है।

6.2 <u>दिशानिर्दश</u> :

उपलब्ध लिखित और अलिखित दिशानिर्देश तथा कर्मचारी नये दिशानिर्देश तथा कर्मचारी नये दिशानिर्देश का निर्वचन, अनुकूलन या युक्तिकरण किस सीमा तक कर सकेंगे :

- वार्षिक कार्य योजना
- भेषजिक देखभाल और सेवाओं के विषय पर मानक प्रचालन प्रक्रिया/अस्पताल दिशानिर्देश
- भेषजी अधिनियम और अन्य विधियां जो विनियमों में ऊपर विनिर्दिष्ट हैं।

7. कार्य संबंध :-

सोंपे गए संगठन के भीतर और बाहर अन्य के साथ संपर्कों की (वरिष्ठों के साथ संपर्कों से भिन्न) बारम्बारता, प्रकृति और प्रयोजन :

भेषजिक सेवा में यह अपेक्षित है कि औषधि प्रभावकारिता, किन्हीं अनुक्रियाओं तथा जटिलताओं के संबंध में मानिटर करने उस पर सलाह देने और अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए रोगियों और अन्य वृत्तिकों से निरन्तर विचारों का आदान-प्रदान किया जाए। इस वृत्ति में यह भी अपेक्षित है कि रोगियों को सर्वोत्तम देखभाल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्वास्थ्य वृत्तिकों के समय निरन्तर विचारों का आदान-प्रदान किया जाए।

<u>भेषजी अभ्यास विनियम बनाने के उद्देश्य</u>

समाज की सेवा के लिए विभिन्न व्यवसाय अस्तित्व में आते हैं। भेषजी व्यवसाय का लक्ष्य समाज एवं व्यक्तिगत रोगियों की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ, वृत्ति एवं मनुष्य की गरिमा के प्रति पूर्ण आदर रखते हुए मानव-सेवा करना है। भेषजज्ञों के ज्ञान, कौशल और वृत्तिक निर्णयों में जनता बहुत विश्वास रखती है। इसी विश्वास को कायम

रखने के लिए यह आवश्यक है कि भेषजज्ञ अपने सम्पूर्ण जीवन में वैयक्तिक तथा वृत्तिक उच्च स्तर अद्यतन जानकारी और अपने व्यवसाय के क्षेत्र से सुसंगत वृत्तिक क्षमता सुनिश्चित करे तथा उसे बनाए रखे। पंजीकृत भेषजज्ञों को चाहिए कि वे रोगियों के उस विश्वास को महत्व दें जो उन्होंने हरेक के प्रति सेवा और निष्ठा पूरे समर्पण के साथ प्रदान करते हुए अपनी देखभाल के लिए उनमें माना है। इसके लिए पंजीकृत भेषजज्ञों को अपने ज्ञान और कौशल में सुधार करने का निरन्तर प्रयास करना चाहिए तथा अपने रोगियों एवं सहकर्मियों को अपनी वृत्तिक उपलब्धियों के फायदे सुलभ कराने चाहिए।

पंजीकृत भेषजज्ञों को वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित व्यवसाय पद्धतियों पर चलना चाहिए तथा वृत्तिक दृष्टि से ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहिए जो सिद्धांतों का उल्लंघन करता हो। भेषजी वृत्ति के समाहत आदर्शों में यह निहित है कि पंजीकृत भेषजज्ञों के उत्तरदायित्वों का विस्तार व्यक्तियों के प्रति ही नहीं बल्कि पूरे समाज के प्रति होना चाहिए। इसके लिए यह अपेक्षित है कि भेषजी व्यवसाय के लिए विनियम बनाकर रोगियों, दूसरे पंजीकृत भेषजी तथा सामान्य लोगों के प्रति पंजीकृत भेषजज्ञों के उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाएँ। भेषजी वृत्ति को विनियम करने के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं:–

- स्वास्थ्य की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना,
- यह सुनिश्चित करना कि भेषजज्ञ अपने कार्य में उच्च स्तर बनाये रखें,
- स्वास्थ्य की देखभाल की लागत कम करना,
- औषधियों के आपराधिक दुरुपयोग को रोकना।

यह भी अपेक्षित है कि वे क्रियाकलाप निर्धारित किये जाएँ जिन्हें दुराचार कहा जा सकता है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए उपबंध किए जाएँ।

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

(Pharmacy Practice Regulations, 2015)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2015

No. 14-148/ 2012- PCI. — In exercise of the powers conferred by Section 10 and 18 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India, with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations; namely–

CHAPTER 1

1. Short title and commencement. –

(a) These regulations may be called the **Pharmacy Practice Regulations, 2015.**

(b) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions:

(a) "Act" means the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948)

(b) "Practice of Pharmacy" means **: –**

i. Interpretation, evaluation and implementation of medical orders; dispensing of prescriptions, drug orders ;

ii. Participation in drug and device selection, drug administration, drug regimen reviews and drug or drug-related research,

iii. Provisions of patient counseling and the provision of those acts or services necessary to provide pharmaceutical care in all areas of patient care including primary care ; and

iv. responsibility for Compounding and labeling of drugs and devices (except labeling by a manufacturer, re-packer or distributor of non-prescription drugs and commercially packaged legend drugs and devices) proper and safe storage of drugs and devices and maintenance of proper records for them.

(c) "Compounding" means the preparation, mixing, assembling, packing or labeling of a drug or device—

(i) as the result of a practitioner's prescription drug order (or) initiative based on the practitioner/patient/pharmacist relationship in the course of professional practice, or

(ii) for the purpose of, or as an incident to research, manufacturing, teaching, clinical trial or chemical analysis including drug analysis and not for sale or dispensing.

Note — Compounding also includes the preparation of drugs or devices in anticipation of prescription, observed prescribing patterns.

(d) "Dispensing" means the interpretation, evaluation, supply and implementation of a prescription, drug order, including the preparation and delivery of a drug or device to a patient or patient's agent in a suitable container appropriately labeled for subsequent administration to, or use by, a patient.

(e) "Distribute" means the delivery of a drug or device other than by administering or dispensing.

(f) "Patient counseling" means the oral communication by the pharmacist of information to the patient or caregiver, in order to ensure proper use of drugs and devices.

(g) "Pharmaceutical care" means the provision of drug therapy and other patient care services intended to achieve outcomes related to the care or prevention of a disease, elimination or reduction of a patient's symptoms, or arresting or slowing of a disease process, as defined by the Pharmacy Council of India.

(h) "Pharmacy Practitioner" means an individual (Community Pharmacist/ Hospital Pharmacist/ Clinical Pharmacist/ Drug information Pharmacist) currently licensed, registered or otherwise authorized under the Act to counsel or otherwise and administer drugs in the course of professional practice.

i. "Community pharmacist" means an individual currently registered and who works according to legal and ethical guidelines to ensure the correct and safe supply of medical products to the general public. They are involved in maintaining and improving people's health by providing advice and information as well as supplying prescription medicines.

ii. "Hospital Pharmacist" means an individual currently registered and who works in a hospital pharmacy service, primarily within the public / private sector. They are responsible for ensuring the safe, appropriate and cost-effective use of medicines. Hospital pharmacists use their specialist knowledge to dispense drugs and advise patients about the medicines which have been prescribed. They work collaboratively with other health care professionals to devise the most appropriate drug treatment for patients. Some pharmacists are also involved in manufacturing required drug treatments.

iii. "Drug Information Pharmacist" means an individual currently registered who works in a community pharmacy/hospital Pharmacy/teaching hospital/ other health care settings and provides information and advice regarding drug interactions, side effects, dosage and proper medication storage to patients/physicians/dentists/other health care professionals.

iv. "Clinical Pharmacist" means an individual currently registered and who provides patient care that optimizes the use of medication and promotes health, wellness and disease prevention. Clinical pharmacists care for patients in all health care settings. Clinical pharmacists often collaborate with physicians and other healthcare professionals.

(i) "Registered Pharmacist" means a person whose name is for the time being entered in the register of the State in which he is for the time being residing or carrying on his profession or business of pharmacy under the Pharmacy Act, 1948.

(j) "Prescription" means a written or electronic direction from a Registered Medical Practitioner or other properly licensed practitioners such as Dentist, Veterinarian, etc. to a Pharmacist to compound and dispense a specific type and quantity of preparation or prefabricated drug to a patient.

Note- Types of prescriptions and content of prescription are given below:

Types of Prescription :

(i) Prescription for Extemporaneous preparations.
(ii) Prescription for Official preparations.
(iii) Prescription for Patent preparations

Contents of the Prescription :

(i) Prescribers office information – [Name, qualification, address & Regn. No.]
(ii) Patient information – [Name & address, Age, Sex, Ref.No.]
(iii) Date
(iv) Rx Symbol or superscription
(v) Medication prescribed or inscription
(vi) Dispensing directions to Pharmacist (or) subscription
(vii) Directions for patient [to be placed on lable]
(viii) Refill, special labeling and /or other instructions
(ix) Prescriber's signature and licence (or) Drug Enforcement Agency (DEA) number as required.

CHAPTER-2

3. Code of Pharmacy Ethics

3.1 Declaration:

Each applicant, at the time of making an application for registration under the provisions of the Act, shall be provided a copy of the declaration as specified in **Appendix I** alongwith copies of Code of Pharmaceutical Ethics and Pharmacist's oath by the state pharmacy council, who shall submit it duly signed.

3.2 Privileges of persons registered as a pharmacist on the register of State Pharmacy Council:

Subject to the conditions and restrictions laid down in these Regulations regarding practice of profession of pharmacy by persons possessing approved pharmacy qualifications, every person whose name is for the time being entered in the register of the state in which he is for the time being residing or carrying on his profession or business of pharmacy shall be entitled to practice as "Registered Pharmacist" and engage in the practice of profession of pharmacy and to recover in due course of law in respect of such practice of pharmacy any expenses, charges or any fee to which he/she is entitled in lieu of his/her discharging duties as defined by the PCI from time to time.

3.3 Displaying name of owner and registered pharmacist:

(a) Name of the owner of pharmacy business shall be displayed at or near the main entrance of each premises in which the business is carried on.

(b) Name of the registered pharmacist along with his registration number and qualification along with his/her photograph shall be displayed adjacent to the area where dispensing is carried on in the pharmacy. Registered pharmacist shall also comply with a dress code of being dressed formally and wearing clean white overall (coat/apron)with a badge displaying the name and registration number.

(c) Registered pharmacists shall display as suffix to their names only recognized pharmacy qualification / degrees or such certificates/diplomas and memberships / honours which confer professional knowledge or recognizes any exemplary qualification/achievements.

3.4 Owner to appoint registered pharmacist:

(a) The owner of a pharmacy business to which this clause applies shall appoint a registered pharmacist to be responsible for regulations 3.3. There must be such an appointment in force at all times; otherwise the owner of the pharmacy business shall be deemed contravening the provisions of section 42 of the Act .

(b) To be effective the notice of appointment must be accompanied by a notice of acceptance of the appointment signed by the appointed person.

(c) An appointment may be revoked by notice given either by the owner of the pharmacy business or by or on behalf of the appointed person. The appointment shall be automatically revoked if the person appointed ceases to be a registered pharmacist.

4. Duties and responsibilities of the registered pharmacist in general:

4.1 Character of registered pharmacist :

(a) The prime object of the pharmacy profession is to render service to humanity; reward or financial gain is a subordinate consideration. Who- so-ever chooses his profession, assumes the obligation to conduct himself in accordance with its ideals. A registered pharmacist should be an upright man, instructed in the art of medicines. He shall keep himself pure in character and be diligent in caring for the sick; he should be modest, sober, patient, prompt in discharging his duty without anxiety; conducting himself with propriety in his profession and in all the actions of his life.

(b) A person having qualification in any other system of pharmacy is not allowed to practice modern system of pharmacy in any form.

(c) A registered pharmacist shall uphold the dignity and honour of his profession.

4.2 Renewal of Registration :

For renewal of registration the pharmacist shall attend minimum 2 refresher courses in pharmacy of minimum one day duration each in a span of 5 years organized by any one of the following body.

(i) Pharmacy Council of India.
(ii) State Pharmacy Councils.
(iii) Central Govt./State Govts.
(iv) Professional bodies recognized by the Council.

4.3 Dispensing against prescription of Registered Medical Practitioner only : Every registered pharmacist shall dispense only those medicines as prescribed by the Registered Medical Practitioner and shall not substitute the prescription.

4.4 Practical training to student pharmacists.

(a) The owner of the pharmacy shall seek prior approval of the PCI for approval of the pharmacy for the purpose of imparting practical teaching to student of Diploma in Pharmacy. In the absence of approval from the PCI, the student pharmacists shall not be treated to have completed their Diploma in Pharmacy (Part-III) to make them eligible for registration as a pharmacist under the Act.

(b) The registered pharmacist shall impart practical training to student pharmacists as prescribed from time to time under Education Regulations framed u/s 10 of the Act under intimation to the examining authority.

(c) While imparting such practical training, the registered pharmacists shall comply with the prescribed norms relating to number of students pharmacists to be trained, nature of practical training, duration of practical etc. as laid down under the Education Regulations from time to time.

5. Pharmacy Inspectors to inspect pharmacies.

(a) The owner/registered pharmacist shall allow and co-operate with the inspectors appointed under the Drugs & Cosmetics Act, 1940 and section 26A of the Pharmacy Act, 1948 by the State Pharmacy Council to inspect premises where drugs are compounded or dispensed.

(b) Any Inspector may –

(i) inspect any premises where drugs are compounded or dispensed and submit a written report to the Registrar;

(ii) enquire whether a person who is engaged in compounding or dispensing of drugs is a registered pharmacist;

(iii) investigate any complaint made in writing in respect of any contravention of the Act and report to the Registrar;

(iv) institute prosecution under the order of the Executive Committee of the State Pharmacy Council;

(v) exercise such other powers as may be necessary for carrying out the purposes of Chapters III, IV and V of the Pharmacy Act or any rules made thereunder.

6. Maintaining good pharmacy practice:

6.1 Membership in Association: For the advancement of his profession, a registered pharmacist shall affiliate with associations and societies of allopathic pharmacy professions and involve actively in the functioning of such bodies. A registered pharmacist shall participate in professional meetings as part of Continuing Pharmacy Education programmes, organized by reputed professional academic bodies or any other authorized associations/organisations. The compliance of this requirement shall be informed regularly to Pharmacy Council of India or the State Pharmacy Councils as the case may be.

6.2 Maintenance of patient records:

(a) Every registered pharmacist shall maintain the medical / prescription records pertaining to his / her patients for a period of 5 years from the date of commencement of the treatment as laid down by the Pharmacy Council of India in **Appendix II.**

(b) If any request is made for medical records either by the patients/authorised attendant or legal authorities involved, the same may be duly acknowledged and documents shall be issued within the period of 72 hours.

(c) Efforts shall be made to computerize medical/prescription records for quick retrieval.

6.3 Highest Quality Assurance in patient care: Every registered pharmacist shall aid in safeguarding the profession against admission to it of those who are deficient in moral character or education. Registered pharmacist shall not employ in connection with his professional practice any attendant who is neither registered nor enlisted under the Pharmacy Act in force and shall not permit such persons to attend, to patients wherever professional discretion or skill is required.

6.4 Exposure of Unethical Conduct: A registered pharmacist should expose, without fear or favour, incompetent or corrupt, dishonest or unethical conduct on the part of members of the profession.

6.5 Payment of Professional Services: The registered pharmacist, engaged in the practice of pharmacy profession shall give priority to the interests of patients. The personal financial interests of a registered pharmacist shall not conflict with the medical interests of patients. A registered pharmacist shall announce his fees before rendering service and not after. Remuneration received for such services shall be in the form and amount specifically

announced to the patient at the time the service is rendered. It is unethical to enter into a contract of "no cure no payment". Registered pharmacist rendering service on behalf of the state shall refrain from anticipating or accepting any consideration.

7. Application of other laws not barred: The registered pharmacist shall observe the laws of the country in regulating the practice of pharmacy and shall also not assist others to evade such laws. He shall be cooperative in observance and enforcement of sanitary laws and regulations in the interest of public health. A registered pharmacist shall have regard to the provisions of the acts like Drugs and Cosmetics Act, 1940; Indian Medical Council Act, 1956; Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985; Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954.

CHAPTER-3

8. DUTIES OF REGISTERED PHARMACISTS TO THEIR PATIENTS

8.1 Obligations to the Sick:

(a) Though a registered pharmacist is not bound to attend each and every person asking his services, he shall not only be ever ready to respond to the calls of the sick and the injured, but shall be mindful of the high character of his mission and the responsibility he discharges in the course of his professional duties. He shall never forget that the health and the lives of those entrusted to his care depend on his skill and attention.

(b) Registered pharmacist having any incapacity detrimental to the patient or which can affect his performance vis-à-vis the patient shall not be permitted to practice his profession.

(c) Pharmaceutical care (in addition to the provisions of Drugs and Cosmetics Rules 1945 and Schedule N of the said Rules) the following provisions shall be included :-

- No person other than a Registered Pharmacist shall compound, prepare, mix, dispense or supply of any medicine on the prescription of a Registered Medical Practitioner (Schedule H & X drugs);
- A Registered Pharmacist shall review the patient record and each prescription presented for supply for the purpose of promoting therapeutic appropriateness by indentifying :
  - (i) Over utilization or under utilization
  - (ii) Therapeutic duplication
  - (iii) Drug-disease interactions
  - (iv) Drug-drug interactions
  - (v) Incorrect drug dosage or duration of drug treatment
  - (vi) Drug-allergy interactions
  - (vii) Correlation of availability of drugs (to avoid artificial shortage of drugs)
  - (viii) Clinical abuse/misuse

Note : upon recognizing any of the above, the Registered Pharmacist shall take appropriate steps to avoid or resolve the problem that shall, if necessary, include consultation with the Registered Medical Practitioner.

8.2 Patience, Delicacy and Secrecy: Patience and delicacy shall characterize the registered pharmacist. Confidences concerning individual or domestic life entrusted by patients to a registered pharmacist and defects in the disposition or character of patients observed during medical attendance shall never be revealed unless their revelation is required by the laws of the State. Sometimes, however, a registered pharmacist shall determine whether his duty to society requires him to employ knowledge, obtained through confidence as a registered pharmacist, to protect a healthy person against a communicable disease to which he is about to be exposed. In such instance, the registered pharmacist shall act as he would wish another to act toward one of his own family in like circumstances.

8.3 Prognosis: The registered pharmacist shall neither exaggerate nor minimize the gravity of a patient's condition. He shall ensure himself that the patient, his relatives or his responsible friends have such knowledge of the patient's condition as will serve the best interests of the patient and the family.

8.4 The Patient must not be neglected: A registered pharmacist is free to choose whom he will serve. However, he shall respond to any request for his assistance in an emergency. Registered pharmacist shall not willfully commit an act of negligence that may deprive his patient or patients from necessary medical care.

CHAPTER-4

9. DUTIES OF REGISTERED PHARMACIST

9.1 Dispensing/Supply of Drugs:

(a) The various activities of dispensing (prescription assembly) like removal of drugs from the packing, filling the prescription etc. may be performed under the super-vision of a registered pharmacist by any person who has been trained to perform these activities. However, the actual dispensing of drugs to patients shall only be performed by the Registered pharmacist after due verification of the prescription filled by others.

(b) A Registered pharmacist shall undertake a pharmaceutical assessment of every prescription presented for dispensing. For the purpose of the act, pharmaceutical assessment is defined as the point at which Registered pharmacist applies his knowledge to establish the safety, quality, efficacy and rational use of drugs treatments specified by a prescriber.

(c) Patient confidentiality shall be maintained at all times.

(d) Appropriate information shall be provided to the patient or the care giver and, where possible, understanding of this information should be checked.

(e) For all prescriptions handled by the pharmacy:

(i) Patient details shall be checked and confirmed;

(ii) Pharmaceutical assessment shall be made;

(iii) Proper documentation shall be maintained.

(f) Assessment of the prescription should include but not be limited to assessment of whether :

(i) The prescription is legally valid.

(ii) The prescription includes an appropriate dosage form and appropriate route of administration.

(iii) Prescription is appropriate to the patient's condition.

(iv) Duration of treatment is correct.

(v) Prescription is appropriate according to patient's para-meters (age, weight etc.) and previous medication.

(vi) Prescription is compatible with other medications.

(vii) Prescription is consistent with formulary and guidelines, if any.

(viii) Possibility of side effects and ad-verse drug reactions exist.

(ix) Contra-indicated.

(x) Potential for misuse and inappropriate use of the medicines in prescription by patient exists.

(xi) Prescription is complying with labeling requirements.

(g) Compounding, dispensing and labeling of required drug products should ensure that

(i) The drug product matches the prescription.

(ii) The drug product has not expired.

(iii) The drug product is appropriately compounded (if necessary), packed and labeled appropriately.

(iv) The accuracy of dispensing is checked by Registered Pharmacist.

(v) Proper documentation is made.

(h) Delivery of the drug product to the patient/carer is done in such a way as to ensure that:

(i) The Registered pharmacist hands over the drug to the patient/carer.

(ii) Appropriate information on drugs is provided to the patient/ carer.

9.2 Pharmacist for promotion of rational drug use:

To promote rational use of drugs, the pharmacist shall involve himself in activities such as:

(i) Preparation of formularies both at the hospital level and at state/ national levels.

(ii) Critical assessment of promotional materials prepared by the drug companies.

(iii) Dissemination of evaluated information through authorized sources.

(iv) Updating the knowledge of drugs through continuing education programmmes and also to organize educational programmes for health professionals.

v) Preparation and dissemination of patient information leaflets.

9.3 Patient counselling :

(a) Upon receipt of a prescription (prescription drug order) and following a review of the patient's record, a Registered Pharmacist shall personally initiate discussion of matters that will enhance or optimize drug therapy with each patient or care given of such patient. Such discussion shall be in person, whenever practicable or by telephone and shall include appropriate elements of patient counseling. Such elements may include the following :

(i) Name and description of the drugs
(ii) The dosage form, dose, route of administration, and duration of drug therapy
(iii) Intended use of the drug and expected action
(iv) Special directions and precautions for the drug
(v) Common severe side effects or adverse effects or interactions and therapeutic contra indications that may be encountered, including their avoidance, and the action required if they occur ;
(vi) Techniques for self monitoring drug therapy
(vii) Proper storage of the drugs
(viii) Prescription refill information
(ix) Action to be taken in the event of a missed dose
(x) To ensure rational use of drugs

Note : The pharmacist shall not be required to counsel a patient or caregiver when the patient or caregiver refuses such consultations.

(b) The pharmacist shall maintain the records pertaining to drugs administered to the patients (drug card) that may be utilized for the evaluation of the drug therapy

(c) The pharmacist is authorized (as a Health care professional) to undertake process and outcome research, health promotion and education and provide health information. Also to undertake the Pharmacoepidemiological studies.

(a) Pharmacies providing patient counseling shall have regard to the following:
   i. Only Registered pharmacists are involved in counseling.
   ii. Facilities are provided for confidential conversation and patient confidentiality is maintained.
   iii. Patient information leaflets are provided.
   iv. Proper documentation is made.
   v. Unnecessary counselling should be avoided.
   vi. Counselling for Patient's Benefit: In every consultation, the benefit to the patient is of foremost importance. All registered pharmacists engaged in the case should be frank with the patient and his attendants.
   vii. Punctuality in counselling: Utmost punctuality should be observed by a registered pharmacist in making themselves available for counselling.

CHAPTER-5

10. RESPONSIBILITIES OF REGISTERED PHARMACISTS TO EACH OTHER.

A registered pharmacist shall consider it as a pleasure and privilege to render gratuitous service to all registered pharmacists and their immediate family dependants.

10.1 Conduct in Counselling: In counselling, no insincerity, rivalry or envy shall be indulged in. All due respect shall be observed towards the registered pharmacist in-charge of the case and no statement or remark be made, which would impair the confidence reposed in him. For this purpose no discussion shall be carried on in the presence of the patient or his representatives.

10.2 Appointment of Substitute: Whenever a registered pharmacist requests another registered pharmacist to attend his patients during his temporary absence from his practice, professional courtesy requires the acceptance of such appointment only when he has the capacity to discharge the additional responsibility along with his other duties. The registered pharmacist acting under such an appointment shall give the utmost consideration to the interests and reputation of the absent registered pharmacist and all such patients shall be restored to the care of the latter upon his return.

CHAPTER-6

11. DUTIES OF REGISTERED PHARMACIST TO THE PUBLIC AND TO THE PROFESSION

11.1 Registered pharmacists as Citizens: Registered pharmacists, as good citizens, possessed of special training shall disseminate advice on public health issues. They should play their part in enforcing the laws of the community and in sustaining the institutions that advance the interests of humanity. They shall particularly co-operate with the authorities in the administration of sanitary/public health laws and regulations.

11.2 Public and Community Health: Registered pharmacists, especially those engaged in public health work, shall enlighten the public concerning quarantine regulations and measures for the prevention of epidemic and communicable diseases. At all times the registered pharmacist shall notify the constituted public health authorities of every case of communicable disease under his care, in accordance with the laws, rules and regulations of the health authorities. When an epidemic occurs a registered pharmacist shall not abandon his duty for fear of contracting the disease himself.

11.3 Physician/Nurses: Registered pharmacists shall seek cooperation from physicians, dentists and nurses wherever required.

CHAPTER-7

12. UNETHICAL ACTS :

A registered pharmacist shall not aid or abet or commit any of the following acts which shall be construed as unethical –

12.1 Advertising:

(a) Soliciting of patients directly or indirectly, by a registered pharmacist, by a group of registered pharmacists or by institutions or organisations is unethical. A registered pharmacist shall not make use of him (or his name) as subject of any form or manner of advertising or publicity through any mode either alone or in conjunction with others which is of such a character as to invite attention to him or to his professional position, skill, qualification, achievements, attainments, specialities, appointments, associations, affiliations or honours and/or of such character as would ordinarily result in his self aggrandizement. A registered pharmacist shall not give to any person, whether for compensation or otherwise, any approval, recommendation, endorsement, certificate, report or statement with respect of any drug, medicine, nostrum remedy, surgical, or therapeutic article, apparatus or appliance or any commercial product or article with respect of any property, quality or use thereof or any test, demonstration or trial thereof, for use in connection with his name, signature, or photograph in any form or manner of advertising through any mode nor shall he boast of cases, cures or remedies or permit the publication of report thereof through any mode. A registered pharmacist, however, shall be permitted to make a formal announcement in press regarding the following:

i on starting practice;

ii on changing address.

(b) Printing of self photograph, or any such material of publicity in the letter head or on sign board of the Pharmacy or any such establishment shall be regarded as acts of self advertisement and unethical conduct on the part of the registered pharmacist. However, printing of sketches, diagrams, picture of medicines shall not be treated as unethical.

12.2 Rebates and Commission:

A registered pharmacist / Pharmacy shall not give, solicit, or receive nor shall he offer to give solicit or receive, any gift, gratuity, commission or bonus in consideration of or return for the referring, recommending or procuring of any patient for sale/dispensing of medicines . A registered pharmacist shall not directly or indirectly, participate in or be a party to act of division, transference, assignment, subordination, rebating, splitting or refunding of any fee for dispensing/sale of medicines.

12.3 Secret Remedies: The prescribing or dispensing by a registered pharmacist of secret remedial agents of which he does not know the composition, or the manufacture or promotion of their use is unethical and as such prohibited. All the drugs dispensed by a registered pharmacist shall carry a proprietary formula and clear name.

12.4 Human Rights: The registered pharmacist shall not aid or abet torture nor shall he be a party to either infliction of mental or physical trauma or concealment of torture inflicted by some other person or agency in clear violation of human rights.

CHAPTER-8

13. MISCONDUCT:

The following acts of commission or omission on the part of a registered pharmacist shall constitute professional misconduct rendering him/her liable for disciplinary action.

(a) Violation of the regulations framed under the Act

(b) Dispensing medicines without the prescription of the Registered Medical Practitioner which are required to be dispensed on prescription only.

(c) Substitution of the prescription without approval/consent of the Registered Medical Practitioner.

(d) Allowing the owner of the pharmacy to use his pharmacist registration certificate without attending the pharmacy.

(e) Giving his pharmacist registration certificate at more than one pharmacies.

(f) Not maintaining the prescription/dispensing records of his patients for a period of five years as per regulation 6.2 a and refuses to provide the same within 72 hours when the patient or his authorised representative makes a request for it

(g) Not displaying the registration certificate accorded to him by the State Pharmacy Council in his pharmacy.

(h) Willfully obstructing an inspector appointed under the Drugs & Cosmetics Act, 1940 and/or Pharmacy Act, 1948 for inspecting/enquiring/investigating.

(i) Committing adultery or improper conduct with a patient or by maintaining an improper association with a patient abusing his professional position. This will render a Registered pharmacist liable for disciplinary action as provided u/s 36 of the Pharmacy Act, 1948.

(j) Conviction by a Court of Law for offences involving moral turpitude/Criminal acts.

(k) Signing Professional Certificates, Reports and other Documents: Registered pharmacist may be in certain cases bound by law to give, or may from time to time be called upon or requested to give certificates, notification, reports and other documents of similar character signed by them in their professional capacity for subsequent use in the courts or for administrative purposes etc. Any registered pharmacist who is shown to have signed or given under his name and authority any such certificate, notification, report or document of a similar character which is untrue, misleading or improper.

(l) Issuing of certificates of efficiency in modern medicine to unqualified person.

(**Note:** The foregoing does not restrict the proper training and instruction of bonafide student pharmacists under the personal supervision of registered pharmacists.)

(m) Contributing to the lay press articles and giving interviews regarding diseases and treatments which may have the effect of advertising himself or soliciting practices; but is open to write to the lay press under his own name on matters of public health, hygienic living or to deliver public lectures, give talks on the radio/TV/internet chat for the same purpose and send announcement of the same to lay press.

(n) Disclosing the secrets of a patient that have been learnt in the exercise of his profession except –

(i) in a court of law under orders of the presiding judicial officer

(ii) in circumstances where there is a serious and identified risk to a specific person and /or community; and

(iii) notifiable diseases.

(o) Refusing on religious grounds alone to dispense medicines on the prescription of Registered Medical Practitioner.

(p) Publishing photographs or case reports of his patients without their permission, in any medical or other journal in a manner by which their identity could be made out. However, if the identity is not to be disclosed, the consent is not needed.

(q) In the case of running of pharmacy by a registered pharmacist and employing Registered Pharmacists to help him, the ultimate responsibility rests on the registered pharmacist.

(r) Using touts or agents for procuring patients.

(s) Claiming himself to be specialist.

(t) If a registered pharmacist posted in rural area is found absent on more than two occasions during inspection by the Head of the District Health Authority or the Chairman, Zila Parishad without information, the same shall be construed as a misconduct .

(u) If a registered pharmacist working in Pharmacy is also found working in another pharmacy/pharmacy college/institution/industry/any other organization as a teaching faculty or otherwise, shall be construed as misconduct.

CHAPTER-9

14. PUNISHMENT AND DISCIPLINARY ACTION

(a) It must be clearly understood that the instances of offences and of Professional misconduct which are given above do not constitute and are not intended to constitute a complete list of the infamous acts which calls for disciplinary action, and that by issuing this notice the Pharmacy Council of India and or State Pharmacy Councils are in no way precluded from considering and dealing with any other form of professional misconduct on the part of a registered pharmacist. Circumstances may and do arise from time to time in relation to which there may occur questions of professional misconduct which do not come within any of these categories. Every care should be taken that the code is not violated in letter or spirit. In such instances as in all others, the Pharmacy Council of India and/or State Pharmacy Councils have to consider and decide upon the facts brought before the Pharmacy Council of India and/or State Pharmacy Councils.

b) Any complaint with regard to professional misconduct can be brought before the Pharmacy Council of India/concerned State Pharmacy Council for disciplinary action. Upon receipt of any complaint of professional misconduct, the Pharmacy Council of India/concerned State Pharmacy Council would hold an enquiry and give opportunity to the registered pharmacist to be heard in person or by pleader. If the registered pharmacist is found to be guilty of committing professional misconduct, the Pharmacy Council of India/concerned State Pharmacy Council may award such punishment as deemed necessary or may direct the removal altogether or for a specified period, from the register of the name of the delinquent registered practitioner. Deletion from the Register shall be widely publicized in local press as well as in the publications of different Pharmacy Associations/ Societies/Bodies.

c) In case the punishment of removal from the register is for a limited period, the concerned State Pharmacy Council may also direct that the name so removed shall be restored in the register after the expiry of the period for which the name was ordered to be removed.

d) Decision on complaint against delinquent registered pharmacist shall be taken within a time limit of 6 months.

e) During the pendency of the complaint the concerned State Pharmacy Council may restrain the registered pharmacist from performing the procedure or practice which is under scrutiny.

f) Professional incompetence shall be judged by peer group as per guidelines prescribed by Pharmacy Council of India.

g) For willful obstruction of an inspector appointed under the Drugs & Cosmetics Act, 1940 and Pharmacy Act, 1948, offence is punishable as provided under the respective Acts.

ARCHNA MUDGAL, Registrar-cum-Secy.

[ADVT-III/4/Exty./101/14]

APPENDIX-1

DECLARATION

(see regulation 3.1)

(To be submitted at the time of application to the state pharmacy council for registration of name in the register of pharmacists)

1. I solemnly pledge myself to consecrate my life to service of humanity.

2. Even under threat, I will not use my pharmacy knowledge contrary to the laws of Humanity.

3. I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception.

4. I will not permit considerations of religion, nationality, race, party politics or social standing to intervene between my duty and my patient.

5. I will practice my profession with conscience and dignity.

6. The health of my patient will be my first consideration.

7. I will respect the secrets which are confined in me.

8. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due.

9. I will maintain by all means in my power, the honour and noble traditions of pharmacy profession.

10. I will treat my colleagues with all respect and dignity.

11. I shall abide by the code of ethics as laid down by the Pharmacy Council of India.

I certify that I have read and agree to abide by the declarations made above.

I make these promises solemnly, freely and upon my honour.

Signature ……

Name ……

Place ……

Address :

……

……

……

Date ……

APPENDIX-II

FORMAT FOR PRESCRIPTION RECORD

[see regulation 6.2]

Name of the patient :

Age :

Sex :

Address :

Occupation :

Date of 1st visit :

Diagnosis :

Prescription :
Follow up

Date:
Observations:

Signature in full …….

Name of Registered pharmacist and registeration No.

Appendix III

Details of Position Title and job responsibilities of Pharmacist at Hospital Pharmacy practice site:

1. JOB IDENTIFICATION:

1.1 Position Title: Pharmacist

1.2 Job Location ***(As appropriate):***

Ministry: Health;

Department: Medical Services;

Division: Health Care & Diagnostic Services;

Section: Pharmaceutical Services;

Unit: Hospital Pharmacy / dispensary / Warehouse

1.3 Title of First Level Supervisor ***(Official title of the Supervisor):*** **Dy. Chief/Sr. Pharmacist**

---

2. PURPOSE, DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Purpose: Provide technical services and logistics support for effective delivery of pharmaceutical care and services.

Duties & responsibilities	Percentage of time
In Hospital:	
▪ Dispense medicines to patients on the prescription of the registered Medical practitioner	35
▪ Provide counseling and health education to the patient	10
▪ Assist in the management of pharmacy department	10
▪ Maintain records of ADR	5
▪ Provide pharmaceutical services to the inpatients	5
▪ Formulate extemporaneous preparation and specialized products	5
▪ Discuss with clinician/health professional to provide better patient care.	5
▪ Conduct prescription surveys and propose changes on the Essential Drug List	5
▪ Attend emergency duty as and when required	5
▪ Indent and check the drugs and non-drugs.	5
▪ Maintain records of the equipments and other supplies of the unit.	5
▪ Documentation of records and literature	5
Essential Drugs and vaccines	
▪ Review of quantification of annual drug requirements of the country/state.	20
▪ Verification of the annual indents received from storekeepers of different hospitals.	20
▪ To visit the hospitals for inventory monitoring, physical verification and analysis.	15
▪ To correspond with suppliers on the supply of drugs and non-drugs.	15
▪ To discuss issues related to the Pharmaceutical supplies with the other health staff of the department to improve quality of service.	10
▪ To correspond with the different hospitals and mobilize the shortly expiring drugs	10
▪ Miscellaneous work	10

3. KNOWLEDGE AND SKILLS REQUIREMENTS (*Minimum requirements for performance of work described (Level of Education, Knowledge, Skill and Ability):*

3.1 Education: Diploma in Pharmacy/ Bachelor in Pharmacy.

3.2 Training: None.

3.3 Length and type of practical experience required: New recruit.

3.4 Knowledge of language(s) and other specialized requirement: Should be fluent in English and regional language

4. COMPLEXITY OF WORK *(details of the intricacy of tasks, steps, processes or methods involved in work, difficulty and originality involved in work):*

The responsibilities involve monitoring the patient and providing health education which will have direct impact on the overall health of the population and disease management. Its jurisdiction encompasses a wide range of pharmaceutical services be it in a dispensary or a hospital. The laid out procedures and techniques needs to be carried out in precise technical efficacy and accuracy. The working process involves scrutinizing every step to prevent any mistakes in the work as it deals with human life. The management of life saving drugs is very important and involves many steps so as to ensure timely supply of drugs to the needy patients.

5. SCOPE AND EFFECT OF WORK *(Details of the breadth of work performance, and the effect the work has on the work of others or the functions of the organization):*

Drugs are the lifelines of the health system. The success of the health care system depends on how various factors like patient compliance to the medicines, cost, and supply, rational utilization of resources, minimization of wastages and rational prescribing. Pharmacist is fully involved in carrying out and promoting them, thus contributing to the overall economy of the nation. The pharmacist is directly involved in counseling the patients, advising the prescribers on rational selection of drugs and therefore it has a direct impact on the overall patient care.

6. INSTRUCTIONS AND GUIDELINES AVAILABLE:

6.1 Instructions (*Details of the controls exercised over the work by the Superior; how work is assigned, reviewed and evaluated):*

Work is carried out based on the annual work plan and regular supervision from the senior pharmacists.

6.2 Guidelines *(written or unwritten guidelines that are available, and the extent to which the employees may interpret, adapt or devise new guidelines):*

- Annual work plan
- Standard Operating Procedures/ hospital guidelines on pharmaceutical care and services
- Standard Manufacturing Instructions
- Pharmacy Act and other laws as specified above in the regulations.

7. WORK RELATIONSHIPS (*The frequency, nature and purpose of contacts with others within and outside the assigned organization (other than contacts with superiors):*

A pharmaceutical service requires constant interaction with patients and other professionals to monitor, advise and follow-up on drug efficacy, any side effects and complications. The profession also requires constant interaction with different health professionals at various levels to provide the best patient care.

8. SUPERVISION OVER OTHERS *(the responsibility that this position has for supervision of other employees, including the nature of supervisory responsibilities and categories and number of subordinates, both directly and indirectly supervised are-):*

Supervises the technicians and other health workers in the Basic Health Unit on the proper storage management , distribution and proper utilization of medicines.

9. JOB ENVIRONMENT *(the physical demands that are required, such as walking, standing, lifting heavy objects, etc., and/or any risks or discomforts like exposure to hazards such as exposure to chemicals infections, radiation, extreme weather and other hostile working conditions):*

Compounding involves the use of chemicals and it is risky to have contact or inhale certain substances and may give rise to chronic diseases in the long run. The contact with patients increases the risk of contacting

communicable diseases and other profession related work hazards such as risk of needle pricks exposing him/her to diseases like HIV and Hepatitis.

Details of Position Title and job responsibilities of Senior Pharmacist at Hospital Pharmacy practice site:

1. JOB IDENTIFICATION:

1.1 Position Title: Sr. Pharmacist

1.2 Job Location *(Complete as appropriate):*

Ministry: Health;

Department: Medical Services;

Division: Health Care & Diagnostic Services;

Section: Pharmaceutical Services;

Unit: Hospital pharmacy/ dispensary/ warehouse

1.3 Title of First Level Supervisor *(Official title of the Supervisor):* Chief/Deputy Chief of the respective fields.

---

2. PURPOSE, DUTIES AND RESPONSIBILITIES *(the purpose, duties and responsibilities, indicating what is done how it is done. Purpose should be a short statement linking the position to the mission and goals of the organization and specifying outputs of the position. Duties should be presented in decreasing order of percentage of time spent on them, or in order of relative importance):*

Purpose: Provide technical services and logistics support for effective delivery of pharmaceutical services, efficient production and supply management; enforce regulation and promote quality assurance of the drugs and other medical supplies; and manages the pharmacy services at a hospital.

Duties & responsibilities	Percentage of time
In Hospital:	
▪ Develop plans on pharmaceutical supplies and mobilize necessary funds.	15
▪ Plan and coordinate the departmental activities.	15
▪ Manage pharmaceutical services at a hospital	10
▪ Monitor and provide supervision to the staff including student trainees	10
▪ Supervise and monitor the ADR of inpatients.	10
▪ Participate in educational and research programs.	10
▪ Conduct the Antibiotic Resistance studies.	10
▪ Go ward round and Provide inpatient pharmaceutical services.	10
▪ Interact with the specialist and prescribing clinicians to discuss on pharmaco-therapeutics.	05
▪ Provide continuing education and assist superiors.	05
▪ Supervise and train subordinates (Pharmacists and pharmacy technician and other health workers)	20

Duties & responsibilities	Percentage of time
In Supplies Management ▪ Monitor quantification, procurement and distribution of medical supplies. ▪ Monitor indents and suppliers. ▪ Supervise subordinates and train other staff. ▪ Prepare plans and budget. ▪ Provide continuing education to the health workers. ▪ Assist superiors as and when required.	20 20 20 20

3. **KNOWLEDGE AND SKILLS REQUIREMENTS** (*Minimum requirements for performance of work described (Level of Education, Knowledge, Skill and Ability):*

3.1 **Education:** Diploma in Pharmacy / Bachelor in Pharmacy / Doctor of Pharmacy (Pharm.D).

3.2 **Training**: Short courses in Drug Administration, Pharmaco-economics, and Pharmaco-Epidemiology, Toxicology, Research and Project design.

3.3 **Length and type of practical experience required**:

D.Pharm- Minimum of 4 years experience as a Pharmacist.

B.Pharm./Pharm.D – direct recruitment

3.4 **Knowledge of language(s) and other specialized requirement**:

Should be fluent in regional languages and English and ability to converse in other dialects is a good asset.

4. **COMPLEXITY OF WORK** *(the intricacy of tasks, steps, processes or methods involved in work, difficulty and originality involved in work):*

Pharmaceutical services are a very technical profession and it requires self-motivation and professional ethics; its jurisdiction encompasses a wide range of services. Under general supervision, senior pharmacist performs duties of broad scope, which requires extensive experience, and application of knowledge of the total pharmacy services in a 60-bedded hospital or in relevant pharmaceutical fields. The position also requires management of life saving drugs involving many steps so as to ensure timely supply of drugs to the needy patients.

5. **SCOPE AND EFFECT OF WORK** *(the breadth of work performance, and the effect the work has on the work of others or the functions of the organization):*

The position is a hospital–wide recognized professional authority in such areas such as Pharmacokinetics, infectious disease therapy, adverse reactions, pharmaco-vigilance, provide authoritative professional guidance to the staff of the hospital and related organizations. The work consists of execution of specific rules, regulations or procedures effecting the accuracy, reliability or acceptability of other processes and services having direct bearing on the patients.

6. INSTRUCTIONS AND GUIDELINES AVAILABLE:

6.1 Instructions (*controls exercised over the work by the Superior; how work is assigned, reviewed and evaluated):*

Assignment of work is based on the annual work plan. The work requires evaluation by self and the supervisors in order to monitor the work efficiency and maintain progress.

6.2 Guidelines *(Indicate which written or unwritten guidelines are available, and the extent to which the employees may interpret, adapt or devise new guidelines):*

- Financial Manual
- Pharmacy Act and other legislations mentioned in these regulations
- Policy documents
- Five-year plan document

7. WORK RELATIONSHIPS (*the frequency, nature and purpose of contacts with others within and outside the assigned organization (other than contacts with superiors):*

A pharmaceutical service requires constant interaction with patients and other professionals to monitor, advise and follow-up on drug efficacy, any side effects and complications. Besides above, the position needs to interact with agencies such as state/central government, Pharmacy retailers, international pharmaceutical firms to prevent drug related problems, legalize retailers, monitor drug quality and compliance of retailers to standard practices and for supply of drugs with pharmaceutical firms.

8. SUPERVISION OVER OTHERS *(responsibility of this position has for supervision of other employees, including the nature of supervisory responsibilities and categories and number of subordinates, both directly and indirectly supervised):*

Supervises the pharmacists, trainees and other related professionals in the hospitals and the Basic Health Units on the proper utilization of the medicines and proper store management of the medicines.

9. JOB ENVIRONMENT *(physical demands required, such as walking, standing, lifting heavy objects, etc., and/or any risks or discomforts like exposure to hazards such as exposure to chemicals infections, radiation, extreme weather and other hostile working conditions):*

The pharmaceutical services in all the area of work need long hour duties with constant standing and frequent exposure to chemicals and other toxins. The contact with patients increases the risk of contacting communicable diseases and other profession related work hazards. The position is also required to travel frequently to the districts to monitor the pharmaceutical activities, to conduct research and assure quality of drugs and supplies.

Details of Position Title and job responsibilities of Chief Pharmacist at Hospital Pharmacy practice site:

1. JOB IDENTIFICATION:

1.1 Position Title: Chief Pharmacist

1.2 Job Location *(Complete as appropriate):*

Ministry: Health;

Department: Medical Services;

Division: Pharmaceutical services

Section: Pharmaceutical Services;

Unit: Hospital/dispensary/warehouse

1.3 Title of First Level Supervisor *(Official title of the Supervisor):* **Head of the Department/hospital**

---

2. PURPOSE, DUTIES AND RESPONSIBILITIES *(Describe the purpose, duties and responsibilities, indicating what is done how it is done. Purpose should be a short statement linking the position to the mission and goals of the organization and specifying outputs of the position. Duties should be presented in decreasing order of percentage of time spent on them, or in order of relative importance):*

Purpose: Provide advanced technical services and logistics support for effective delivery of clinical services, efficient production and supply management; and ensure regulation and quality assurance of the drugs and other medical supplies; and manages the pharmacy department of the hospital.

Duties & responsibilities (for all categories)	Percentage of time
▪ Coordinate planning and implementation of relevant activities including mobilization of resources.	40
▪ Conduct research activities and facilitates international networking.	20
▪ Conduct supervision and training for subordinates and health workers.	15
▪ Manage the pharmacy department of a hospital	10
▪ Monitor and evaluates relevant activities.	10
▪ Carry out any other duties assigned by superiors.	05

3. KNOWLEDGE AND SKILLS REQUIREMENTS (*Minimum requirements for performance of work described (Level of Education, Knowledge, Skill and Ability):*

3.1 Education:

By promotion failing which by Direct Recruitment : Diploma in Pharmacy with 10 years of experience.

OR

Bachelor of Pharmacy with 5 years experience.

OR

Master in Pharmacy/ Pharm.D.

3.2 Training: Short course in organizational management, human resource development and management, and financial management and policies, research and specialization in pharmaceutical related fields.

3.3 Length and type of practical experience required: Minimum of 4 years experience as a Sr.Pharmacist or equivalent experience.

3.4 Knowledge of language(s) and other specialized requirement:

Fluent in regional languages and English. Should be also conversant in government policies, rules and regulations.

4. COMPLEXITY OF WORK *(Describe the intricacy of tasks, steps, processes or methods involved in work, difficulty and originality involved in work):*

The position needs a competent person with in-depth technical knowledge and policy issues and must be capable of executing responsibilities independently. The position is required to fulfill the professional and administrative responsibilities for the department that provides comprehensive pharmaceutical services through large number of professional and technical personnel. It involves advising the technical bodies and commissions (National Drug Committee, Drug Advisory Committee, National HIV/AIDS Commission) on embarking right policy decisions. The position is also required to give constant feedback and assistance to the higher authorities.

5. SCOPE AND EFFECT OF WORK *(Describe the breadth of work performance, and the effect the work has on the work of others or the functions of the organization):*

The success and image of the health system is directly influenced by the clinical care provided to the patients. The pharmaceutical service is the backbone of the clinical services and has direct impact on the overall health care. The quality of the pharmaceutical services will entirely depend on how they are planned and implemented and this position category play a vital role in extending the services to the public.

6. INSTRUCTIONS AND GUIDELINES AVAILABLE:

6.1 Instructions (*Describe controls exercised over the work by the Superior; how work is assigned, reviewed and evaluated):*

The work output will be reviewed through meetings, reports, publications and successful implementation of the planned activities. However, supervision is received from the head of the department on policy and management issues, and from the specialists on technical areas as and when required.

6.2 Guidelines *(Indicate which written or unwritten guidelines are available, and the extent to which the employees may interpret, adapt or devise new guidelines):*

- Indian Civil Service Rules and Regulations
- Financial Manual
- Indian legislations relating to health

7. WORK RELATIONSHIPS (*Indicate the frequency, nature and purpose of contacts with others within and outside the assigned organization (other than contacts with superiors):*

The position is required to collaborate with various international agencies and intergovernmental organizations for constant upgrading of the policies and programs relating to matters of pharmaceutical services. The position is required to co-ordinate in-puts from relevant professional groups and agencies in order to promote the professional integrity and for better developmental goals and better patient care.

8. **SUPERVISION OVER OTHERS** *(Describe responsibility this position has for supervision of other employees, including the nature of supervisory responsibilities and categories and number of subordinates, both directly and indirectly supervised):*

Supervises the Deputy Chief Pharmacists and Pharmacists; and oversees the private pharmaceutical dealers to improve the quality of work and to ensure the quality, efficacy and safety of medicinal products to safeguard the public health.

9. **JOB ENVIRONMENT** *(Describe physical demands required, such as walking, standing, lifting heavy objects, etc., and/or any risks or discomforts like exposure to hazards such as exposure to chemicals infections, radiation, extreme weather and other hostile working conditions):*

The work involves frequent exposure to chemicals and other toxins. The contact with patients through research works also increase the risk of contacting communicable diseases and other profession related work hazards. The position is also required to travel frequently to the districts to monitor the pharmaceutical activities, to conduct research and assure quality of drugs and supplies.

Details of Position Title and job responsibilities of Community Pharmacist at community Pharmacy practice site (Drug Store/ Pharmacy)

1. JOB IDENTIFICATION:

1.1 Position Title: Community Pharmacist

1.2 Job Location *(As appropriate):*

Section: Private sector

Unit: Community Pharmacy / Dispensary / Drug Warehouse

2. PURPOSE, DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Purpose: Provide technical services and logistics support for effective delivery of pharmaceutical care and services.

Typical work activities include:

- dispensing prescription medicines to the public;
- ensuring that different treatments are compatible;
- checking dosage and ensuring that medicines are correctly and safely supplied and labelled (pharmacists are legally responsible for any dispensing errors);
- supervising the preparation of any medicines (not all are supplied ready made-up by the manufacturer);
- keeping a register of controlled drugs for legal and stock control purposes;
- liaising with doctors about prescriptions;
- selling over-the-counter medicines;
- counselling and advising the public on the treatment of minor ailments;
- advising patients of any adverse side-effects of medicines or potential interactions with other medicines/treatments;
- preparing dosette and cassette boxes, usually for the elderly but also for those with memory/learning difficulties, where tablets are placed in compartments for specified days of the week;

- undertaking Medicine Use Reviews (MUR), an advanced service to help patients understand how their medicines work and why they have to take them;
- providing a prescription intervention service;
- managing a needle and syringe exchange;
- dispensing emergency hormonal contraception;
- measuring and fitting compression hosiery;
- monitoring blood pressure and cholesterol levels;
- offering a diabetes screening service;
- providing pregnancy testing;
- arranging the delivery of prescription medicines to patients;
- overseeing the ordering and safe storage of medical products;
- maintaining computerised records;
- managing, supervising and training pharmacy support staff;
- selling healthcare and other products, such as toiletries, cosmetics and photographic items;
- budgeting and financial management;
- promoting sales and developing the business;
- keeping up to date with current pharmacy practice, new drugs and their uses.

3. KNOWLEDGE AND SKILLS REQUIREMENTS (*Minimum requirements for performance of work described (Level of Education, Knowledge, Skill and Ability):*

3.1 Education: Diploma in Pharmacy/ Bachelor in Pharmacy.

3.2 Training: None.

3.3 Length and type of practical experience required: New recruit.

3.4 Knowledge of language(s) and other specialized requirement: Should be fluent in English and regional language.

4. COMPLEXITY OF WORK ***(details of*** *the intricacy of tasks, steps, processes or methods involved in work, difficulty and originality involved in work):*

The responsibilities involve monitoring the patient and providing health education which will have direct impact on the overall health of the population and disease management. Its jurisdiction encompasses a wide range of pharmaceutical services be it in a dispensary or a hospital. The laid out procedures and techniques needs to be carried out in precise technical efficacy and accuracy. The working process involves scrutinizing every step to prevent any mistakes in the work as it deals with human life. The management of life saving drugs is very important and involves many steps so as to ensure timely supply of drugs to the needy patients.

5. SCOPE AND EFFECT OF WORK *(Details of the breadth of work performance, and the effect the work has on the work of others or the functions of the organization):*

Drugs are the lifelines of the health system. The success of the health care system depends on how various factors like patient compliance to the medicines, cost, and supply, rational utilization of resources, minimization of wastages and rational prescribing. Pharmacist is fully involved in carrying out and promoting them, thus contributing to the overall economy of the nation. The pharmacist is directly involved in counseling the patients, advising the prescribers on rational selection of drugs and therefore it has a direct impact on the overall patient care.

6. INSTRUCTIONS AND GUIDELINES AVAILABLE:

6.1 Instructions (*Details of the controls exercised over the work by the Superior; how work is assigned, reviewed and evaluated):*

Work is carried out based on the annual work plan and regular supervision from the senior pharmacists.

6.2 Guidelines *(written or unwritten guidelines that are available, and the extent to which the employees may interpret, adapt or devise new guidelines):*

- Annual work plan
- Standard Operating Procedures/ guidelines on pharmaceutical care and services
- Pharmacy Act and other laws as specified above in the regulations.

7. WORK RELATIONSHIPS (*The frequency, nature and purpose of contacts with others within and outside the assigned organization (other than contacts with superiors):*

A pharmaceutical service requires constant interaction with patients and other professionals to monitor, advise and follow-up on drug efficacy, any side effects and complications. The profession also requires constant interaction with different health professionals at various levels to provide the best patient care.

8. SUPERVISION OVER OTHERS *(the responsibility that this position has for supervision of other employees, including the nature of supervisory responsibilities and categories and number of subordinates, both directly and indirectly supervised are):-*

Supervises the technicians and other health workers in the community Pharmacy on the proper storage management, distribution and proper utilization of medicines.

9. JOB ENVIRONMENT *(the physical demands that are required, such as walking, standing, lifting heavy objects, etc., and/or any risks or discomforts like exposure to hazards such as exposure to chemicals infections, radiation, extreme weather and other hostile working conditions):*

Compounding involves the use of chemicals and it is risky to have contact or inhale certain substances and may give rise to chronic diseases in the long run. The contact with patients increases the risk of contacting communicable diseases and other profession related work hazards such as risk of needle pricks exposing him/her to diseases like HIV and Hepatitis.

Details of Position Title and job responsibilities of Drug Information Pharmacist at Pharmacy practice site in a health care setting (Drug Store/ Pharmacy)

1. JOB IDENTIFICATION:

1.1 Position Title: Drug Information Pharmacist

1.2 Job Location ***(As appropriate):***

Unit: Hospital Pharmacy / dispensary /teaching hospital/other health care setting

2. PURPOSE, DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Purpose: Provide patient care that optimizes the use of medication and promotes health, wellness and disease prevention.

Core Responsibilities and Activities:

- Provide drug information services

- Supervise pharmacy/PharmD students during the drug information rotation.
- Participate in the administrative activities of the drug information center along with other faculty/ health care providers.
- Develop and assist in developing drug monographs and reviews for the Pharmacy & Therapeutics Committee.
- Write and edit drug information center publications such as newsletters and other publications.
- Contribute to continuous quality improvement efforts related to drug information services.
- Contribute to didactic drug information courses.
- Complete at least 1 major research project related to drug information or other area of interest that is suitable for publication.
- Present research activity at various forum.

Other Responsibilities and Activities:

- Participate in Pharmacy & Therapeutics Committee meetings
- Contribute to drug use management activities (DUE/DUR)
- Work with other faculty on drug information service-related projects as needed.
- Attend a major/ national pharmacy meeting.
- Participate in entrepreneurial activities of the drug information center.

3. KNOWLEDGE AND SKILLS REQUIREMENTS (*Minimum requirements for performance of work described (Level of Education, Knowledge, Skill and Ability):*

3.1 Education: Bachelor in Pharmacy / Pharm.D

3.2 Training: Drug information residency.

3.3 Length and type of practical experience required: New recruit.

3.4 Knowledge of language(s) and other specialized requirement: Should be fluent in English and regional language

4. COMPLEXITY OF WORK *(details of the intricacy of tasks, steps, processes or methods involved in work, difficulty and originality involved in work):*

The responsibilities involve monitoring the patient and providing health education which will have direct impact on the overall health of the population and disease management. Its jurisdiction encompasses a wide range of pharmaceutical services be it in a dispensary or a hospital.

5. SCOPE AND EFFECT OF WORK *(Details of the breadth of work performance, and the effect the work has on the work of others or the functions of the organization):*

Drugs are the lifelines of the health system. The success of the health care system depends on how various factors like patient compliance to the medicines, cost, and supply, rational utilization of resources, minimization of wastages and rational prescribing. Pharmacist is fully involved in carrying out and promoting them, thus contributing to the overall economy of the nation. The pharmacist is directly involved in counseling the patients, advising the prescribers on rational selection of drugs and therefore it has a direct impact on the overall patient care.

6. INSTRUCTIONS AND GUIDELINES AVAILABLE:

6.1 <u>Instructions</u> (*Details of the controls exercised over the work by the Superior; how work is assigned, reviewed and evaluated):*

Work is carried out based on the annual work plan and regular supervision from the senior pharmacists.

6.2 <u>Guidelines</u> *(written or unwritten guidelines that are available, and the extent to which the employees may interpret, adapt or devise new guidelines):*

- Annual work plan
- Standard Operating Procedures/ hospital guidelines on pharmaceutical care and services
- Pharmacy Act and other laws as specified above in the regulations.

7. WORK RELATIONSHIPS (*The frequency, nature and purpose of contacts with others within and outside the assigned organization (other than contacts with superiors):*

A pharmaceutical service requires constant interaction with patients and other professionals to monitor, advise and follow-up on drug efficacy, any side effects and complications. The profession also requires constant interaction with different health professionals at various levels to provide the best patient care.

OBJECTIVES FOR MAKING PRACTICE REGULATIONS

Professions exist to serve society. The mission of the pharmacy profession is to render service to humanity with full respect for the dignity of profession and man, besides addressing the needs of society and of individual patients. The public places great trust in the knowledge, skills and professional judgments of pharmacists. This trust requires the pharmacists to ensure and maintain throughout their career high standards of personal and professional conduct, up-to date knowledge and professional competence relevant to their domain of practice. The registered pharmacist should merit the confidence of patients entrusted to their care, rendering to each a full measure of service and devotion. For which the registered pharmacist should try continuously to improve his knowledge and skills and should make available to their patients and colleagues the benefits of their professional attainments.

The registered pharmacist should practice methods of practice founded on scientific basis and should not associate professionally with anyone who violates this principle. The honoured ideals of the pharmacy profession imply that the responsibilities of the registered pharmacist extend not only to individuals but also to society.

This calls for framing of the regulations for practice of pharmacy laying down responsibilities of pharmacist towards patient, another registered pharmacist and the public in general. Primary reasons to regulate pharmacy profession are:

- ✓ To improve quality of health care
- ✓ To ensure that Pharmacists maintain high standards in their duty
- ✓ To reduce cost of health care
- ✓ To inhibit criminal abuse of medicines

It is also a call for laying down the activities which may be construed as misconduct and provision for taking disciplinary action.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.